रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1544] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 4, 2013/आषाढ़ 13, 1935

No. 1544] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 4, 2013/ASHADHA 13, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2013

का.आ. 2002(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(4) के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री जे.आर. मिढा की अध्यक्षता में गठित अधिकरण, जिसे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(1) के अंतर्गत यह न्याय-निर्णय करने के लिए एक संदर्भ भेजा गया था कि क्या असम के संगठन यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) को विधिविरुद्ध घोषित किए जाने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान हैं अथवा नहीं, का आदेश को आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :

[सं. 11011/81/2012-एन ई-V]

शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967
के अधीन अधिकरण

असम के यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)

के मामले में :

24.5.2013

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री .जे.आर मिढा

उपस्थित : श्री राजीव मेहरा, एडीशनल सॉलिसीटर जनरल, श्री हिमांशु बजाज, भारत संघ की ओर से केन्द्र सरकार के स्थायी वकील, श्री तुषार सिंह और श्री आशीष विरमानी, भारत संघ की ओर से अधिवक्ता, श्री एस सी रावत, अनुभाग अधिकारी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के साथ।

सुश्री बरनाली दास के साथ श्री अविजित रॉय, असम राज्य की ओर से अधिवक्ता।

श्री एच.सी. सूरी, रजिस्ट्रार की उपस्थिति में:-

<u>आदेश</u>

1. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने दिनांक 27 नवम्बर, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 2799 (अ) के तहत यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) को इसके सभी गुटों, विंगों और प्रमुख संगठनों सहित, विधिविरुद्ध संगम घोषित किया है।

2. उपर्युक्त अधिसूचना के द्वारा केन्द्र सरकार ने यह राय व्यक्त की है कि उल्फा-

2.1 असम को मुक्त कराने के अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत की संप्रभुता और भू-भागीय अखंडता को विच्छिन्न करने के इरादे से अवैध और हिंसात्मक क्रियाकलापों में लिप्त है;

2.2 इसका असम को भारत से पृथक कराने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विधिविरुद्ध संगमों के साथ संबंध रहा है;

2.3 इसकी विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषणा किए जाने के दौरान भी यह अपने ध्येयों और उद्देश्यों के अनुसरण में अनेक विधिविरुद्ध एवं हिंसक क्रियाकलापों में संलिप्त रहा है।

3. केन्द्र सरकार ने यह नोट किया है कि उल्फा के विधिविरुद्ध और हिंसक क्रियाकलापों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

3.1 1 जनवरी, 2011 से 30 सितम्बर, 2012 तक की अवधि के दौरान हिंसा की पचहत्तर घटनाएं में;

3.2 1 जनवरी, 2011 से 31 तक की अवधि के दौरान चार सुरक्षा बल कार्मिकों सहित ग्यारह व्यक्तियों की हत्या।

3.3 जबरन धन वसूली तथा अलगाववादी गतिविधियों और फिरौती के अपहरण के कृत्यों के अतिरिक्त निर्दोष लोगों के जीवन को खतरे में डालना, और

3.4 सुरक्षा बलों की स्थापनाओं तथा उनके कार्मिकों, राजनैतिक नेताओं, रेलवे और तेल प्रतिष्ठानों को लक्ष्य बनाकर कृत्यों को अंजाम देने के लिए अपने काडरों को अनुदेश देना;

3.5 पड़ोसी देशों में आश्रय स्थलों और प्रशिक्षण शिविरों की स्थापना करना; और

3.6 अपनी हिंसक और विद्रोही गतिविधियों को जारी रखते हुए नए कॉडरों की भर्ती करने के लिए शांत किंतु सुनियोजित तरीके से अभियान चलाकर जमीनी स्तर पर अपने संगठनात्मक नेटवर्क का पुनर्गठन करना।

4. केन्द्र सरकार की यह राय थी कि उपर्युक्त कारणों से उल्फा की गतिविधियां भारत की संप्रभुता तथा अखंडता के लिए हानिकर हैं तथा यह एक विधिविरुद्ध संगम है।

5. केन्द्र सरकार की यह भी राय थी कि यदि उल्फा की विधिविरुद्ध गतिविधियों पर तत्काल अंकुश और नियंत्रण नहीं लगाया गया तो यह अपनी अलगाववादी, विध्वंसक और हिंसक गतिविधियों में वृद्धि करने के लिए अपने कॉडरों को जुटाने, भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता के लिए हानिकर ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का खुलकर प्रचार करने, और ज्यादा नागरिकों की हत्या करने तथा पुलिस और सुरक्षा बल कार्मिकों को निशाना

बनाने तथा सीमा पार से और अधिक अवैध शस्त्र और गोलाबारूद का प्रापण करने तथा इसे जुटाने और अपनी अवैध गतिविधियों के लिए जनता से भारी मात्रा में निधियां और अवैध करों की वसूली करने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकता है।

6. दिनांक 27 नवम्बर, 1990 की अधिसूचना, जिसके द्वारा उल्फा को प्रारंभ में विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया था, का समय-समय पर विस्तार किया गया। इस संगम को पिछली बार विधिविरुद्ध संगम घोषित करने वाली अधिसूचना 26 नवम्बर, 2012 तक वैध थी।

7. उक्त आधारों और उक्त हिंसक गतिविधियों के आधार पर केन्द्र सरकार की यह राय है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत उल्फा को, इसके सभी गुटों, विंगों और प्रमुख संगठनों सहित दो वर्ष की अवधि तक विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है तथा इस संगम के विधिविरुद्ध संगम की घोषणा समाप्त होने की तारीख तथा इस संगठन को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने की नई तारीख के बीच कोई अंतराल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें किसी भी विलंब से इस संगठन को अनुचित लाभ मिलेगा। अत: उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के परन्तुक के अंतर्गत इस संगठन को 27 नवम्बर, 2012 से तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक समझा गया।

8. उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने यह न्याय निर्णय करने के लिए कि क्या उल्फा को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने का पर्याप्त कारण है अथवा नहीं, अपनी दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 की अनुवर्ती अधिसूचना सं. का.आ. 2979 (अ) के तहत इस अधिकरण का गठन किया।

9. उक्त संदर्भ प्राप्त होने के बाद इस अधिकरण ने इस संदर्भ को 11 जनवरी, 2013 को न्यायालय सं. 32, दिल्ली उच्च न्यायालय, शेरशाह रोड, नई दिल्ली में अपराह्न 4.00 बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया।

10. 11 जनवरी, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा 4(2) के अंतर्गत उल्फा को नोटिस की तामीली के 30 दिन के भीतर इस बात का कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया कि उक्त संगम को विधिविरुद्ध संगम घोषित क्यों नहीं किया जाए और उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत की गई घोषणा की पुष्टि करने संबंधी आदेश क्यों नहीं पारित किया जाए। यह भी निदेश दिया गया कि नोटिस की तामीली उसी प्रकार से की जाए जिस प्रकार से उल्फा पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना की तामीली की गई थी। यह भी निदेश दिया गया कि उक्त संगठन को नोटिस की तामीली निम्नलिखित तरीके से की जाएगी :-

10.1 नोटिस की प्रतियां उक्त संगम के कार्यालयों, यदि कोई हों, के प्रमुख भाग पर चिपकाई जाएं;

10.2 उल्फा को नोटिस की तामीली दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशन के द्वारा भी की जाए जिनमें से एक अंग्रेजी में हो तथा एक स्थानीय भाषा का प्रमुख स्थानीय समाचार पत्र हो जिसका इस संगठन की स्थापना वाले इलाके में अथवा असम राज्य और उसके बाहर जहां इसकी मौजूदगी हो, वहां यह चलन में हो;

10.3 उस क्षेत्र में, जहां इस संगम की गतिविधियां सामान्य रूप से चलाई जाती हों, नोटिस की विषय-वस्तु की ढोल पीटकर अथवा लाउडस्पीकरों के द्वारा उदघोषणा करके;

10.4 नोटिस की तामीली इस संगम के पदाधिकारियों को उनके पते पर की जाए अथवा यदि वे नजरबंद हों तो संबंधित अधीक्षक (जेल) के माध्यम से तथा नोटिस को राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित करके की जाए जिनमें से एक अंग्रेजी में हो तथा एक स्थानीय भाषा का ऐसा प्रमुख स्थानीय समाचारपत्र हो जो असम राज्य में चलन में हो;

10.5 गृह मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.nic.in) पर प्रकाशित करके।

10.6 आकाशवाणी पर घोषणा करके और असम राज्य के स्थानीय प्रसारण एवं पारेषण स्टेशनों से दूरदर्शन पर प्रसारित करके तथा;

10.7 जिला या तहसील यथा व्यवहार्य, मुख्यालय में प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके नोटिस तामील की जानी चाहिए।

11. दिनांक 11 जनवरी, 2013 के आदेश के अनुसरण में श्री एच.सी. सूरी, जिनको अधिकरण के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया था, ने इस साक्ष्य के लिए दिनांक 21 फरवरी, 2013 को अपनी रिपोर्ट दायर की कि नोटिस को संगठन के विभिन्न मोडों में तामील/प्रकाशित किया गया था। केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में श्री जी. श्रीधरन, उप सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का दिनांक 22 फरवरी, 2013 का शपथ-पत्र दायर किया कि संगम (उल्फा) को विहित मोडों में तामील किया गया है। असम राज्य ने भी असम सरकार, गृह एवं राजनैतिक विभाग, दिसपुर में उप सचिव, श्री गौतम तालुकदार, ए सी एस का इस संबंध में शपथ-पत्र दायर किया कि अधिकरण द्वारा यथा निदेशित संगठन को प्रकाशन सहित विभिन्न मोडों द्वारा नोटिस तामील किया गया है।

12. नोटिस तामील किए जाने के बावजूद, दिनांक 1 मार्च, 2013 की कार्यवाहियों में अधिकरण के समक्ष उल्फा संगठन की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अधिकरण ने कार्यवाही को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया तथा गवाहों के साक्ष्य तथा प्रति-जांच (क्रॉस-एक्जामिनेशन), यदि कोई हो, को रिकार्ड करने की तारीखें, शिलांग, मेघालय में 19 एवं 20 अप्रैल, 2013 तय की गईं। राज्य सरकार को निदेश दिया गया कि वह अधिष्ठापन की तारीखों तथा अधिकरण के स्थल के बारे में अग्रिम रूप में स्थानीय समाचारपत्रों तथा मीडिया के जरिए समुचित प्रचार-प्रसार करे।

13. अधिकरण की दिनांक 22 मार्च, 2013 की कार्यवाहियों के दौरान, असम राज्य ने साक्ष्य का शपथ-पत्र दायर किया जिसमें उल्फा को विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित करने के लिए मामले की पुष्टि में असम सरकार के पुलिस विभाग के विभिन्न अधिकारियों के समर्थक दस्तावेजों सहित 27 शपथ-पत्र शामिल हैं। केन्द्रीय सरकार ने भी अपने मामले के प्रमाण में अधिकरण के समक्ष श्री जी. श्रीधरन, उप सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का सारगर्भित शपथ-पत्र दायर किया।

14. अधिकरण की दिनांक 19 अप्रैल, 2013 की कार्यवाहियों के दौरान, असम राज्य ने 15 गवाह प्रस्तुत किए एवं उनकी जांच की अर्थात् एस डब्ल्यू-1, डॉ. संयुक्ता पाराशर, आई पी एस, पुलिस अधीक्षक, जोरहाट जिला, असम, एस डब्ल्यू-2, श्री राणा भूयान, आई पी एस, पुलिस अधीक्षक, डिब्रूगढ़ जिला, असम, एस डब्ल्यू-3, श्री रफीउल आलम लस्कर, आई पी एस, पुलिस अधीक्षक, गोलाघाट जिला, असम, एस डब्ल्यू-4, श्री पृथपाल सिंह, आई पी एस, पुलिस अधीक्षक, तिनसुकिया जिला, असम, एस डब्ल्यू-5, श्री संजीव कृष्णा, आई पी एस, पुलिस अधीक्षक चिरांग जिला, असम, एस डब्ल्यू-6, श्री श्यामल प्रसाद सैकिया, आई पी एस, पुलिस अधीक्षक, गोलपाड़ा जिला, असम, एस डब्ल्यू-7, श्री प्रशांत कुमार भूयान, आई पी एस, पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर जिला, असम, एस डब्ल्यू-8, श्री जी.वी. शिव प्रसाद, आई पी एस, पुलिस अधीक्षक, बारपेटा जिला, असम, एस डब्ल्यू-9, श्री मृदुलांदा शर्मा, आई पी एस, पुलिस अधीक्षक, धुबरी जिला, असम, एस डब्ल्यू-10, श्री अभिजीत बोरा, आई पी एस, पुलिस अधीक्षक, बोंगईगांव जिला, असम, एस डब्ल्यू-11, श्री बिजय गिरी कुलीगाम, ए पी एस, पुलिस अधीक्षक, शिवसागर जिला, असम, एस डब्ल्यू-12, श्री आनंद प्रकाश तिवारी, आई पी एस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गुवाहाटी शहर, कामरूप (मेट्रो) जिला, असम, एस डब्ल्यू-13, श्री भक्त बहादुर छेत्री, ए पी एस, पुलिस अधीक्षक, कार्बी आंगलांग जिला, असम, एस डब्ल्यू-14, श्री विवेक राज सिंह, आई पी एस, पुलिस अधीक्षक, नौगांव जिला, असम, एस डब्ल्यू-15, श्री बीर बिक्रम गोगाई, ए पी एस,

पुलिस अधीक्षक, बकसा जिला, असम, जिन्होंने साक्ष्य में अपने शपथ-पत्र प्रस्तुत किए जिनमें उनके संबंधित क्षेत्राधिकारों में उल्फा की विधिविरुद्ध गतिविधियों के ब्यौरे शामिल थे।

15. अवसर दिए जाने के बावजूद, उल्फा संगम की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ और राज्य के किसी गवाह की प्रति-जांच नहीं की गई। अधिकरण की कार्यवाहियां अगले दिन अर्थात् 20 अप्रैल, 2013 के लिए स्थगित की गईं ताकि शेष गवाहों का बयान रिकार्ड किया जा सके।

16. दिनांक 20 अप्रैल, 2013 को अधिकरण की कार्यवाहियों के दौरान, असम राज्य ने कहा कि अधिकरण की सुनवाई का स्थान वास्तव में होटल पाइनवुड, शिलांग निर्धारित किया गया था किंतु संभार तंत्र संबंधी मुद्दों के कारण स्थान को बदलकर होटल पोलो टॉवर्स, शिलांग करना पड़ा था। आगे यह भी कहा गया कि स्थान बदलने की बात को जनता एवं प्रतिबंधित संगठन के ध्यान में लाने के लिए शुद्धिपत्र को दिनांक 19 अप्रैल, 2013 को प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रों अर्थात् खबर, दैनिक जन्मभूमि, दैनिक जुगसंघ में प्रकाशित किया गया। सरकार द्वारा प्रकाशित उद्धरण वाले चार समाचार पत्र, सरकार द्वारा सौंपे गए तथा इनको रिकार्ड पर लिया गया। असम सरकार ने प्राथमिकी (एफ आई आर), जब्ती सूची, जी डी एंट्री और गवाहों/आरोपियों के बयान की प्रमाणित प्रतियां भी प्रस्तुत कीं जिसके संबंध में दिनांक 19 अप्रैल, 2013 को एस डब्ल्यू-1 को अनुमति प्रदान की गई तथा इसे रिकार्ड पर लिया गया। राज्य सरकार ने दिनांक 20 अप्रैल, 2013 को 8 गवाह प्रस्तुत किए एवं उनकी जांच की। वे हैं : एस डब्ल्यू-16, श्री पी.आर. कार, ए पी एस, पुलिस अधीक्षक, नालबाड़ी जिला, असम, एस डब्ल्यू-17, श्री रत्न के.टी. शर्मा, पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस थाना टिहू, नालबाड़ी जिला, असम, एस डब्ल्यू-18, श्री खानिन्द्र दास, पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस थाना नालबाड़ी, नालबाड़ी जिला, असम, एस डब्ल्यू-19 श्री जीवन दास, उप निरीक्षक, पुलिस थाना सिमलगुड़ी, शिवसागर जिला, असम, एस डब्ल्यू-20, श्री नेत्र काम सैकिया, उप निरीक्षक, पुलिस थाना मथुरापुर, शिवसागर जिला, असम, एस डब्ल्यू-21, श्री खरगेश्वर राभा, उप निरीक्षक, पुलिस थाना बांगी बोंगईगांव, बोंगईगांव जिला, असम, एस डब्ल्यू-22, श्री सूरेन बाईलुंग, उप निरीक्षक, पुलिस थाना बेरबरुआ, डिब्रूगढ़ जिला, असम, एस डब्ल्यू-23, श्री जाहरलाल बरुआ, उप निरीक्षक, पुलिस थाना छबुआ, डिब्रूगढ़ जिला, असम जिन्होंने साक्ष्य में अपने शपथ-पत्र प्रस्तुत किए जिनमें उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में उल्फा की विधिविरुद्ध गतिविधियों के ब्यौरे शामिल हैं।

17. पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, अधिकरण की कार्यवाहियों के दौरान उल्फा की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ तथा इस प्रकार, राज्य के किसी भी गवाह की प्रति-जांच नहीं की गई।

18. दिनांक 16 मई, 2013 को अधिकरण की सुनवाई कान्फ्रेंस हॉल, होटल ब्रह्मपुत्र अशोका, गुवाहाटी, असम में आयोजित की गई। उपर्युक्त समाचार-पत्रों की मूल प्रतियों और दूरदर्शन के दिनांक 10 मई, 2013 के पत्र की प्रति तथा असम राज्य के 16 मई, 2013 के पत्र को रिकॉर्ड में लिया गया। असम राज्य सरकार ने दो गवाह प्रस्तुत किए तथा उनकी जांच की। वे हैं, एस डब्ल्यू-24, श्री जितमोल डोले, पुलिस अधीक्षक, दर्रांग जिला, असम एवं एस डब्ल्यू-25, श्री रूद्रेश्वर डेका, उप निरीक्षक, पुलिस थाना गौरीपुर, धुबरी जिला, असम, जिन्होंने साक्ष्य में अपने शपथ-पत्र प्रस्तुत किए जिनमें उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में उल्फा की विधिविरुद्ध गतिविधियों के ब्यौरे शामिल थे। एस डब्ल्यू-25, श्री रूद्रेश्वर डेका की आगे और जांच को आस्थगित किया गया ताकि पूर्ण रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जा सके। पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद, अधिकरण की कार्यवाहियों के दौरान उल्फा की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ तथा राज्य के किसी गवाह की प्रति-जांच नहीं की गई। शेष गवाहों का साक्ष्य रिकार्ड करने के लिए अधिकरण की कार्यवाहियों को 18 मई, 2013 के लिए स्थगित किया गया।

19. दिनांक 18 मई, 2013 को असम सरकार ने तीन गवाह प्रस्तुत किए एवं उनकी जांच की। वे हैं, एस डब्ल्यू-25, श्री रूद्रेश्वर डेका (आगे और जांच के लिए), एस डब्ल्यू-26, सुश्री बन्या गोगोई, पुलिस अधीक्षक, विशेष प्रचालन यूनिट, विशेष शाखा, मुख्यालय, काहिलिपाड़ा, गुवाहाटी एवं एस डब्ल्यू-27, श्री महदानंदा हजारिका, संयुक्त सचिव, गृह एवं राजनैतिक विभाग, असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी। केन्द्रीय सरकार ने सी डब्ल्यू-1 श्री जी. श्रीधरन, उप सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को पेश किया एवं उनकी जांच की। मार्क 'क' से 'ङ' के रूप में चिह्नित संवेदनशील सूचना वाले सीलबंद कवर को भी रिकॉर्ड में लिया गया। मामले को तदनुसार न्यायालय सं. 19, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दिनांक 20 मई, 2013 को सायं 4.00 बजे सुनवाई के लिए सूची में रखा गया। उल्फा की ओर से पुन: व्यक्तिगत रूप से या परामर्शदाता के जरिए कोई हाजिर नहीं हुआ।

20. मामले की विस्तार से सुनवाई 21, 22 एवं 23 मई, 2013 को हुई। भारत संघ की ओर से विद्वान अपर सालीसिटर जनरल श्री राजीव मेहरा ने और असम राज्य के लिए श्री अविजित रॉय ने बहस की तथा वे गवाहों अर्थात् सी डब्ल्यू-01 एवं एस डब्ल्यू-27 के बयानों पर निर्भर रहे जिनकी विस्तार से चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

20.1 सी डब्ल्यू-01 श्री जी. श्रीधरन, उप निदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक ने साक्ष्य में अपना शपथ-पत्र प्रदर्श सी डब्ल्यू-01/1, दिनांक 20 मार्च, 2013, दिनांक 27 नवम्बर, 2012 की अधिसूचना का. आ. 2799 (अ) की प्रति सहित, प्रदर्श सी डब्ल्यू-01/क, दिनांक 17 जून, 2009 की अधिसूचना की प्रति, जिसमें उल्फा को विधिविरुद्ध संगम ठहराया गया है- प्रदर्श-

सी डब्ल्यू-01/ख, दिनांक 5 जुलाई, 2011 की अधिसूचना की प्रति जिसमें माननीय अधिकरण की दिनांक 25 मई, 2011 की रिपोर्ट निहित है- प्रदर्श-सी डब्ल्यू 01/ग, दिनांक 23 जनवरी, 2011 से 31 जुलाई, 2012 तक उल्फा द्वारा की गई बड़ी घटनाओं के ब्यौरे तथा प्रदर्श सी डब्ल्यू-01/घ तथा उल्फा के लक्ष्यों/उद्देश्यों तथा हिंसक घटनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा प्रदर्श सी डब्ल्यू-1/ङ प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त, सी डब्ल्यू-01 में उल्फा की विधिविरुद्ध गतिविधियों के बारे में सुरक्षा एजेंसियों एवं स्रोतों तथा राज्य सरकारों से प्राप्त आसूचना इन्पुट एवं सूचना वाला एक सीलबंद कवर भी सौंपा जिसे मार्क 'ङ' के रूप में रिकॉर्ड पर लिया गया है। अभिसाक्षी ने कहा है कि उल्फा की गतिविधियों के बारे में असम राज्य सरकार से प्राप्त सूचना तथा तथ्य के मद्देनजर तथा तथ्यों एवं परिस्थितियों, मामले की पृष्ठभूमि, संबंधित असम राज्य में व्याप्त स्थितियों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप-धारा 1 के अंतर्गत उल्फा को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करके इसको प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है तथा तदनुसार दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को अधिसूचना सं. 2799 (अ) जारी किया। अभिसाक्षी ने कहा कि केन्द्रीय सरकार को आसूचना एजेंसियों एवं असम राज्य सरकार से इन्पुट एवं सूचना प्राप्त हुई थी। सी डब्ल्यू-01 ने राज्य सरकार, रक्षा मंत्रालय, आसूचना ब्यूरो, मंत्रिमंडल सचिवालय (आर ए डब्ल्यू), सी आर पी एफ एवं बी एस एफ की टिप्पणियों एवं विचारों को इस अधिकरण के विचारार्थ एक सील कवर (मार्क ङ) में प्रस्तुत किया। तथापि, चूंकि उसमें निहित सूचना अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए सी डब्ल्यू-01 ने बृहत्तर लोक हित में इन दस्तावेजों की विषय-वस्तुओं को जनता के समक्ष प्रकट नहीं करने के संबंध में विशेषाधिकार का दावा किया। अभिसाक्षी ने कहा कि उल्फा का गठन सशस्त्र संघर्ष के जरिए भारत संघ से "असम को आजाद" करने के घोषित उद्देश्य से दिनांक 7 अप्रैल, 1979 को किया गया था तथा उल्फा को 27 नवम्बर, 1990 से विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत आरंभ में 'विधिविरुद्ध संगम' के रूप में घोषित किया गया था। पिछली अधिसूचना जिसके अंतर्गत इस संगठन को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित किया गया है, दिनांक 26 नवम्बर, 2012 तक वैध थी। अभिसाक्षी ने कहा कि उल्फा को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 के अंतर्गत 'आतंकवादी संगठन' के रूप में भी घोषित किया गया था। अभिसाक्षी ने कहा कि उल्फा दो गुटों में बंट गया है, एक गुट अरबिंद राजखोवा के साथ है जो यहां इसके बाद प्रो टॉक (पी टी) के रूप में निर्दिष्ट है तथा दूसरे गुट ने पारेश बरूआ, उल्फा के स्वयंभू कमांडर-इन-चीफ द्वारा अपनाए गए कट्टर रूख को अपनाया है जो एंटी टॉक (ए टी) (वार्ता के विरुद्ध)है। उल्फा का ऊपरी एवं निचले दोनों असम में जबरन वसूली की गतिविधियों में लिप्त रहना जारी है। उल्फा (ए टी) के नेता जैसे कि बाबुल गोगोई, मुहिम गोगोई, रोंगमोन गोगोई आदि तथा दृष्टि राजखोवा क्रमशः असम-अरुणाचल सीमा पर तथा मेघालय/बांगलादेश सीमा में जमे हुए हैं तथा अपनी मांगों के अनुपालन हेतु लक्षित लोगों को जबरन वसूली की नोटिस/धमकी देते रहे हैं। उन्होंने

कहा कि उल्फा (ए टी) गुट के नए प्रशिक्षित काडरों को म्यांमार से ऊपरी असम में घुसपैठ कराया जा रहा है तथा विघटनकारी गतिविधियां चलाने के लिए असम-अरुणाचल प्रदेश, असम-नागालैंड, सीमा पर, मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स तथा असम के जोरहाट जिले में स्थित विभिन्न टुकड़ियों को हथियारों की आपूर्ति करने के प्रयास उल्फा (ए टी) के उच्चतर फॉर्मेशन द्वारा किए गए हैं। उल्फा (ए टी) के कॉडर में नफरी लगभग 250 है और उनके पास लगभग 200 हथियार हैं। अभिसाक्षी ने कहा कि बोगाबस्ती, अराकन शिविर, नागा काउंसिल शिविर तथा जनरल मोबाइल मुख्यालय/मोबाइल मुख्यालय, टागा, म्यांमार में उल्फा के 28 बटालियन शिविर का उपयोग आश्रय, भर्ती किए गए लोगों के प्रशिक्षण तथा उल्फा (ए टी) द्वारा हथियारों/विस्फोटकों के भंडारण तथा असम में प्रवेश करने हेतु नागालैंड के एम ओ एन जिले तथा अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के मार्गों से होकर आतंकी हमले करने के लिए इन शिविरों से अपने काडरों को भेजने के लिए किया जा रहा था। सी डब्ल्यू-01 ने आगे यह भी साक्ष्य दिया कि उल्फा (ए टी) के नेता जैसे कि पारेश बरुआ, स्वयं-भू कमांडर-इन-चीफ, जीबोन मोरान, स्वयंभू लेफ्टिनेंट कर्नल, माइकल डेका फूकन तथा बिजय दास उर्फ चाइनीज, स्वयंभू मेजर्स के म्यांमार में छिपे होने तथा जबरन वसूली, तैनाती तथा हिंसा की योजनाओं के लिए असम में अपने काडरों को अनुदेश दिए जाने की सूचना है। उन्होंने कहा कि उनको पता चला है कि उल्फा असम के नौगांव एवं बकसा जिलों से नए काडरों की भर्ती कर रहा है जिनको प्रशिक्षण के लिए म्यांमार भेजा जाएगा तथा यह भी सूचना है कि दृष्टि राजखोवा, उल्फा के स्वयंभू मेजर एवं वायस सी एस गारो हिल्स, मेघालय में कहीं नए भर्ती किए गए लोगों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे हैं। अभिसाक्षी ने कहा है कि पारेश बरुआ के नेतृत्व वाला उल्फा (ए टी) गुट "असम की आजादी" के लिए सशस्त्र संघर्ष को जारी रखने के अपने रूख पर कायम है तथा इसने अपने संगठन को सुदृढ़ करने के कार्य को जारी रखा है तथा नए काडरों की भर्ती एवं प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी सैन्य क्षमता को सुदृढ़ कर रहा है। अभिसाक्षी ने कहा कि वर्ष 2011 के दौरान, संगठन ने हिंसा की 22 घटनाओं में एक सुरक्षा बल कार्मिक को मार दिया था। वर्ष 2012 के दौरान (31 दिसम्बर तक), उल्फा काडरों ने हिंसा की 52 घटनाओं में तीन सुरक्षा बल कार्मिक सहित दस व्यक्तियों की हत्या की है। अभिसाक्षी ने कहा कि ऐसी रिपोर्टें हैं जिससे पता चलता है कि कई उल्फा (पी टी) काडरों ने उल्फा (ए टी) गुट के साथ संबंध बनाए रखा हुआ है। वे अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के क्षेत्रों, तिनसुकिया जिले के मरघेरिटा क्षेत्र में कोयले की अवैध खनन/बिक्री तथा नदी तट मार्गों से होकर अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले से लकड़ी की तस्करी में लिप्त हैं तथा चूंकि उल्फा संगठनों ने अपनी उन गतिविधियों को जारी रखा जिनके लिए इसे पहले वर्ष 2000, 2002 2004 एवं नवम्बर, 2006 में प्रतिबंधित कर दिया गया था, इसलिए सरकार ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित 27 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. 2746 (अ) के तहत नवम्बर, 2008 में नए सिरे से प्रतिबंध लगा दिया। अभिसाक्षी ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति रीवा खेत्रपाल वाले

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण ने इस प्रतिबंध को सही ठहराया तथा अधिकरण का आदेश दिनांक 17 जून, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 1506 (अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। अभिसाक्षी ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मुक्ता गुप्ता वाले विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण ने प्रतिबंध को सही ठहराया तथा अधिकरण का आदेश दिनांक 5 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं. 1535 (अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। अभिसाक्षी ने कहा कि उपर्युक्त प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद, उल्फा गुप्त रूप से प्रशिक्षण चलाए जाने, जबरन वसूली तथा डरा-धमकाकर निधियां उगाहने सहित अपनी विधिविरुद्ध गतिविधियां चलाता रहा है। उल्फा सदस्यों का राष्ट्र विरोधी तथा विधिविरुद्ध गतिविधियों में लिप्त रहना जारी रहा तथा इसलिए यह आवश्यक है कि उल्फा पर प्रतिबंध को जारी रखा जाना चाहिए। अभिसाक्षी ने कहा कि उल्फा;

(i) असम को स्वतंत्र कराने के अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता को विघटित करने के इरादे से विभिन्न अवैध एवं हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहा है;

(ii) उल्फा ने अपने आपको असम को भारत से पृथक करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विधिविरुद्ध संगमों के साथ जोड़कर रखा है;

(iii) अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुकरण में, विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषणा की अवधि के दौरान कई विधिविरुद्ध एवं हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहा है;

20.2 अभिसाक्षी ने कहा कि उल्फा की हिंसक गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं -

(i) दिनांक 1 जनवरी, 2011 से 31 दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान हिंसा की चौहत्तर घटनाएं;

(ii) दिनांक 1 जनवरी, 2011 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक की अवधि के दौरान चार सुरक्षा बलों सहित चौदह व्यक्तियों की हत्या;

(iii) कई जबरन वसूली एवं अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होना तथा फिरौती हेतु व्यपहरण की घटनाओं सहित निर्दोष नागरिकों की जिंदगियों को खतरे में डालना;

(iv) सुरक्षा बलों के प्रतिष्ठानों और उनके कार्मिकों, राजनेताओं, रेलवे एवं तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर घटनाओं को अंजाम देने के लिए अपने काडरों को अनुदेश देना;

(v) पड़ोसी देशों में अभ्यारण्यों एवं प्रशिक्षण शिविरों की स्थापना; और

(vi) अपनी हिंसक एवं विद्रोही गतिविधियों को जारी रखते हुए नए काडरों की भर्ती के लिए शांत किंतु सिलसिलेवार अभियान शुरू करके निचले स्तर पर अपने संगठनात्मक नेटवर्क का पुनर्गठन आरंभ करना।

20.3 अभिसाक्षी ने कहा कि यदि उल्फा की विधिविरुद्ध गतिविधियों पर तुरंत रोक एवं नियंत्रण नहीं होता है तो इसको निम्नलिखित के लिए अवसर मिल सकता है:

(i) अलगाववादी, विघटनकारी एवं हिंसक घटनाओं का विस्तार करने के लिए अपने काडरों को एकजुट करना;

(ii) भारत की संप्रभुता एवं राष्ट्रीय अखंडता के शत्रुवत बलों के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का खुलेआम प्रचार-प्रसार करना;

(iii) सिविलियनों की हत्या के बढ़ते मामलों में तथा पुलिस एवं सुरक्षा बल कार्मिकों को निशाना बनाने में लिप्त रहना;

(iv) सीमा पार से और अधिक अवैध हथियारों एवं गोलाबारूदों का प्रापण करना और उनको शामिल करना;

(v) अपनी विधिविरुद्ध गतिविधियों के लिए जनता से काफी निधियां एवं अवैध कर जबरन वसूल करना और एकत्र करना।

20.4 अभिसाक्षी ने कहा कि उल्फा की गतिविधियां शांति एवं आंतरिक सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं तथा इस संगठन को वृहत स्तर पर अवैध एवं हिंसक आतंकी गतिविधियों से रोकने के लिए इस संगठन को 'विधिविरुद्ध' के रूप में घोषणा को जारी रखना आवश्यक था क्योंकि इसमें किसी देरी से संगठन को स्थिति का अनुचित लाभ उठाने और अलगाववादी

विघटनकारी, आतंकवादी एवं हिंसक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अपने काडरों को एकजुट करने का अवसर प्राप्त होगा तथा इससे इस संगठन के नेतृत्व को भारत की सुरक्षा चिंता के शत्रुवत विदेशी शक्तियों की साठगांठ से खुलकर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करने का अवसर भी मिलेगा,, ऐसी आकस्मिकता में पुलिस/सुरक्षा बल के लिए अपने द्वारा गिरफ्तार आतंकवादियों को रोके रखना एवं अभियोजित करना कठिन होगा। अभिसाक्षी ने कहा कि केन्द्रीय सरकार ने तत्काल प्रभाव से नए सिरे से प्रतिबंध लगाने को आवश्यक समझा तथा इसलिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार का उल्फा को विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित करने का निर्णय उचित, सही एवं प्रमाणिक है।

21. असम राज्य सरकार ने जिला पुलिस अधिकारियों, जांच अधिकारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों का निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत किया जिन्होंने संगत दस्तावेजों के साथ इस माननीय अधिकरण के समक्ष अभिसाक्ष्य दिया जिसको विभिन्न प्रदर्शों के जरिए सम्यक रूप से प्रदर्शित किया गया : उल्फा की विधिविरुद्ध एवं हिंसक घटनाओं के परिणामस्वरूप निर्दोष सिविलियनों एवं सुरक्षा कार्मिकों की हत्या हुई और वे घायल हुए जैसा कि प्रदर्श सी डब्ल्यू-01/घ एवं एस डब्ल्यू-26 में प्रस्तुत किया गया है :

i) एस डब्ल्यू-27- श्री महदानन्दा हजारिका, संयुक्त सचिव, असम सरकार, गृह एवं राजनैतिक विभाग, असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी ने प्रदर्श एस डब्ल्यू-27/2 से प्रदर्श एस डब्ल्यू-27/6 के रूप में चिह्नित दस्तावेजों सहित शपथ-पत्र (प्रदर्श-एस डब्ल्यू-27/1) पर साक्ष्य प्रस्तुत किया। प्रदर्श एस डब्ल्यू-27/2, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 27 नवम्बर, 2012 की अधिसूचना है। प्रदर्श एस डब्ल्यू-27/5 प्रतिबंधित अधिसूचना का संविधान है जिसके पृष्ठ 38 पर संगठन ने असम की भूमि पर एक पृथक देश स्थापित करने के अपने उद्देश्य का उल्लेख किया है। प्रदर्श एस डब्ल्यू-27/6 में दिनांक 27 नवम्बर, 2010 से 26 नवम्बर, 2012 तक की अवधि के दौरान प्रतिबंधित संगठन द्वारा अंजाम दी गई घटनाओं का चार्ट एवं सार निहित है। उक्त संगठन पर प्रतिबंध को जारी रखने के देश के निर्णय का भी उल्लेख है। गवाह ने भी माननीय अधिकरण के समक्ष यह कहा कि भारत के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 27 नवम्बर, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 2799 (अ) के तहत उल्फा को विधिविरुद्ध संगठन के रूप में घोषित करना न्यायोचित था तथा उपर्युक्त घोषणा उल्फा की विधिविरूद्ध गतिविधियों, जो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए हानिकारक है, को रोकने एवं नियंत्रित करने के लिए आवश्यक थी (खंड । का पृष्ठ 10, पैरा 23)।

ii) सुश्री बन्या गोगोई, पुलिस अधीक्षक, विशेष प्रचालन यूनिट, विशेष शाखा, असम पुलिस, गुवाहाटी, असम ने अभिसाक्ष्य दिया तथा दस्तावेज प्रदर्शित किए। उनके हलफनामे को प्रदर्श एस डब्ल्यू-26/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया था जबकि 11 दस्तावेजों को सत्य अनूदित प्रतियों के प्रदर्श एस डब्ल्यू-26/2 से प्रदर्श एस डब्ल्यू 26/12 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संवेदनशील सूचना वाले सीलबंद कवर में मूल रिकार्ड को लेकर आई थी और चार सीलबंद कवरों में इसकी प्रतियां प्रस्तुत की थीं। चूंकि उसमें निहित सूचना अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए वृहत्तर लोक हित में इन दस्तावेजों की विषय-वस्तुओं को जनता के समक्ष प्रकट नहीं करने के संबंध में विशेषाधिकार का दावा किया गया है। संवेदनशील सूचना की प्रतियों, जिनकी मूल प्रतियां गवाह के पास थीं, वाले चार सीलबंद कवरों को रिकार्ड पर लिया गया था और मार्क 'क' से 'घ' के रूप में चिह्नित किया गया। गवाह ने कहा कि प्रतिबंधित संगठन की विधिविरुद्ध गतिविधियां जारी हैं। ऐसी पिछली घटना दिनांक 19 अप्रैल, 2013 को घटी थी जिसमें प्रतिबंधित संगठन ने तिनसुकिया जिले में असम पुलिस के एक निरीक्षक की हत्या कर दी थी। दिनांक 27 नवम्बर, 2010 से दिनांक 26 नवम्बर, 2012 तक की अवधि के दौरान प्रतिबंधित संगठन द्वारा की गई घटनाओं का सार प्रदर्श एस डब्ल्यू-26/2 के पृष्ठ 188 एवं 189 में चार्ट में निहित है। प्रतिबंधित संगठन द्वारा की गई घटनाओं का जिला-वार सार प्रदर्श एस डब्ल्यू 26/12 के पृष्ठ 190 से 203 में दिया गया है। देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में संगठन पर प्रतिबंध जारी रहना चाहिए।

iii) प्रदर्श एस डब्ल्यू-1 डॉ. संयुक्ता पाराशर, पुलिस अधीक्षक, जोरहाट जिला ने हाल की एक घटना के रिकार्डों सहित जिले में तीन घटनाओं को प्रमाणित किया। गवाह ने भी अभिसाक्ष्य दिया कि उल्फा के सदस्य सक्रिय थे और वे वृहत स्तर पर विधिविरुद्ध गतिविधियों में लिप्त रहे हैं।

पुलिस थाना जोरहाट में मामला सं. 588/12 में विस्फोटकों सहित हथियारों एवं गोलाबारूदों की बरामदगी के साथ-साथ पाँच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच से पता चला कि हथियारों/गोलाबारूदों एवं विस्फोटकों को उल्फा सदस्यों के माध्यम से भिजवा दिया गया था।

पुलिस थाना दक्षिण मजूली के अंतर्गत मामला सं. 09/12 में पाँच व्यक्ति घायल हो गए थे। घटना स्थल से हथियार एवं गोलाबारूद भी बरामद किए गए थे। घायलों में से तीन

की बाद में मृत्यु हो गई थी जिनमें से एक की पहचान उल्फा सदस्य के रूप में की गई थी।

दक्षिण मजूली पुलिस थाने के मामला सं. 05/12 में एक उल्फा के सहयोगी को गिरफ्तार किया गया था।

गवाह ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 26 फरवरी, 2013 को केन्दुगुड़ी में एक ग्रेनेड विस्फोट हुआ था जिससे दो पुलिस कर्मी घायल हो गए थे। एक जिंदा ग्रेनेड भी जब्त किया था। जोरहाट पुलिस थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के उपरांत यह पाया गया कि ग्रेनेड विस्फोट के लिए उल्फा जिम्मेदार था। इस घटना का उल्लेख दिनांक 26 फरवरी, 2013 के शपथ-पत्र में नहीं किया गया है क्योंकि यह घटना बाद की तारीख में घटी थी। एस डब्ल्यू-1 ने प्राथमिकी की प्रति और अन्य संगत दस्तावेज अभिसाक्ष्य के बाद के दिन में प्रस्तुत किया था।

एस डब्ल्यू-1 ने प्रदर्श एस डब्ल्यू-1/1 से लेकर प्रदर्श एस डब्ल्यू-1/10 के रूप में चिह्नित संगत दस्तावेजों सहित शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत किया था।

iv) एस डब्ल्यू-2- श्री राणा भूयान, पुलिस अधीक्षक, डिब्रूगढ़ जिला ने जिले के रिकार्डों से दो घटनाओं को साबित किया जिनमें उल्फा के सदस्य लिप्त थे। एस डब्ल्यू-2 ने अभिसाक्ष्य दिया कि उल्फा के सदस्य बहुत ही सक्रिय हैं और विभिन्न विधिविरुद्ध गतिविधियों जैसे कि निर्दोष लोगों की हत्या, जबरन वसूली और अवैध हथियारों, विस्फोटकों को रखने आदि के कार्य में लिप्त हैं। उन्होंने नियमित रूप से घात लगाकर सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमला किया जिससे काफी लोग हताहत हुए। संगठन की ऐसी गतिविधियां न केवल सरकार के प्राधिकार की अनदेखी कर रहे हैं बल्कि जिले के लोगों में आतंक भी फैला रहे हैं। वे सरकार तथा भारत संघ के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए विभिन्न लोगों को उकसा भी रहे थे।

पुलिस थाना बारबरुआ के अंतर्गत पुलिस दल तथा 4 उपद्रवियों के बीच गोलीबारी से संबंधित मामला संख्या 157/2011 की जांच से पता चला कि उल्फा के सदस्य इसमें शामिल थे।

पुलिस थाना छबुआ के अंतर्गत मामला संख्या 98/2012 में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार व्यक्तियों की प्राथमिक पूछताछ से पता चला कि दोनों ही व्यक्ति उल्फा के सक्रिय सदस्य थे।

एस डब्ल्यू-2 ने प्रदर्श एस डब्ल्यू-2/1 से लेकर प्रदर्श एस डब्ल्यू-2/13 के रूप में चिह्नित संगत दस्तावेजों सहित शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत किया था।

v) एस डब्ल्यू-3- श्री रफीउल आलम लस्कर, पुलिस अधीक्षक, गोलाघाट जिला ने अभिसाक्ष्य दिया कि उल्फा के सदस्य बहुत ही सक्रिय हैं और वे वृहद स्तर पर विधिविरुद्ध गतिविधियों और राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में लिप्त रहे हैं। गवाह ने जिले के रिकार्ड से एक घटना को उद्धृत किया जिसमें प्रतिबंधित संगठन उल्फा शामिल था।

मामला (गोलाघाट पुलिस थाना मामला सं. 496/2012) के संबंध में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें एक ने अपने बयान में कबूल किया कि वह उल्फा का सदस्य है।

गवाह ने अपने अभिसाक्ष्य में हथगोले को नष्ट करने की रिपोर्ट सहित एक बोतल हथगोले तथा उल्फा के पत्र शीर्ष पर एक मांग पत्र की बरामदगी के बारे में भी कहा था।

एस डब्ल्यू -3 ने प्रदर्श एस डब्ल्यू-3/1 से लेकर प्रदर्श एस डब्ल्यू-3/20 के रूप में चिह्नित संगत दस्तावेजों सहित शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत किया था।

vi) एस डब्ल्यू-4- श्री पृथीपाल सिंह, पुलिस अधीक्षक, तिनसुकिया जिला, असम ने अभिसाक्ष्य दिया कि उनके जिले में उल्फा के सदस्य सक्रिय हैं तथा वे वृहत स्तर पर विधिविरुद्ध गतिविधियों जैसे कि बम विस्फोट, निर्दोष लोगों की हत्या, अवैध हथियारों, गोलाबारूदों, विस्फोटक आदि को रखने तथा असम को भारत के भू-भाग से पृथक करने के लिए भारत संघ के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए नए काडरों की भर्ती में भी लिप्त हैं। उक्त संगठन के सदस्यों ने शांतिप्रिय लोगों में भय पैदा करने के लिए तिनसुकिया जिला में और उसके आसपास विघटनकारी गतिविधियां भी शुरू की। गवाह ने जिले के रिकार्ड

के अनुसार कुछ दृष्टांत उद्धृत किए जिनमें उल्फा के सदस्य विधिविरुद्ध गतिविधियों में शामिल थे।

तिनसुकिया पुलिस थाना में मामला संख्या 3/12 में, संदिग्ध उल्फा उग्रवादी ने हथगोले फेंककर विस्फोट कराया था जिसके परिणामस्वरूप चार पैदल यात्री घायल हो गए थे। इस मामले के संबंध में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार दोषी व्यक्तियों ने स्वीकार किया था कि वे उल्फा के सहयोगी हैं तथा उल्फा की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

पैनगिरी पुलिस थाना में मामला संख्या 84/2012 में, 3/4 उल्फा काडर के शरण लेने के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने एक संयुक्त अभियान शुरू किया। संक्षिप्त गोलीबारी के दौरान एक उग्रवादी बुलेट से घायल हो गया तथा दूसरा घने जंगल की आड़ में वहां से भागने में सफल रहा। गोलीबारी रुकने के बाद पुलिस दल ने शीघ्र ही घायल उल्फा काडर को उपचार के लिए सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में पहुंचाया किंतु उसे मृत घोषित कर दिया गया। हथियार और गोलाबारूद बरामद कर लिए गए।

बोरडुमसा पुलिस थाना में मामला संख्या 53/2012 में, पुलिस और उग्रवादियों के एक समूह के बीच एक मुठभेड़ हुई जिसके परिणामस्वरूप असम पुलिस के एक कांस्टेबल और एक उग्रवादी को बुलेट लगा। सुरक्षा बलों ने शीघ्र ही उपचार के लिए घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया जहां उपचार कर रहे डाक्टर ने उग्रवादी को मृत घोषित कर दिया।

गवाह ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि साक्ष्य देते समय जिला में एक घटना घटी थी जिसमें उल्फा के सदस्यों ने पुलिस पार्टी पर गोली चलायी थी जिससे एक पुलिस निरीक्षक की मृत्यु हो गयी थी। मुठभेड़ अभी भी चल रही थी और इसकी रिपोर्टिंग स्थानीय टी वी चैनलों पर की जा रही थी।

एस डब्ल्यू-4 ने प्रदर्श एस डब्ल्यू-4/1 से लेकर प्रदर्श एस डब्ल्यू-4/3-32 के रूप में चिह्नित संगत दस्तावेजों सहित शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत किया था।

vii) एस डब्ल्यू-5- श्री कुमार संजीत कृष्णा, पुलिस अधीक्षक, चिरांग जिला, असम ने अभिसाक्ष्य दिया कि चिरांग जिला में उल्फा अपनी विधिविरुद्ध गतिविधियों में सक्रिय है। गवाह ने जिले के रिकार्डों से एक घटना को उद्धृत किया जिसमें प्रतिबंधित संगठन उल्फा शामिल था। मामले (मामला सं. 34/12, पुलिस थाना धालीगांव) के संबंध में एक उल्फा कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया। उसके बयान के अनुसार वह एक प्रशिक्षित उल्फा काडर था और विधिविरुद्ध गतिविधियों में लिप्त रहा था।

एस डब्ल्यू-5 ने प्रदर्श एस डब्ल्यू-5/1 से लेकर प्रदर्श एस डब्ल्यू-5/9 के रूप में चिह्नित संगत दस्तावेजों सहित शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत किया था।

viii) एस डब्ल्यू-6- श्री श्यामल प्रसाद सैकिया, पुलिस अधीक्षक, गोलपाड़ा जिला, असम ने अभिसाक्ष्य दिया कि उनके जिले में उल्फा के सदस्य बहुत सक्रिय हैं और व्यापक स्तर पर विधिविरुद्ध और हिंसक गतिविधियों तथा राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में भी लिप्त रहे हैं और गवाह ने जिले में दो घटनाओं को उद्धृत किया जिनमें उल्फा के सदस्य शामिल हैं।

धुपधारा पुलिस थाना के अंतर्गत मामला सं. 44/12 में, दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा साथ ही विस्फोटकों की बरामदगी की गई। उक्त व्यक्ति उल्फा के सक्रिय सहयोगी थे।

मामला संख्या 25/12 के संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और उसने खुलासा किया कि वह उल्फा का एक सक्रिय सदस्य हैं। उसके कब्जे से हथियार और गोलाबारूद भी बरामद किए गए।

एस डब्ल्यू-6 ने प्रदर्श एस डब्ल्यू-6/1 से लेकर प्रदर्श एस डब्ल्यू-6/9 के रूप में चिह्नित संगत दस्तावेजों सहित शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत किया था।

ix) एस डब्ल्यू-7- श्री प्रशांत कुमार, पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर जिला, असम ने अभिसाक्ष्य दिया कि उनके जिले में उल्फा अपनी विधिविरुद्ध गतिविधियों में सक्रिय है।

गवाह ने जिले के रिकार्ड से दो घटनाओं को उद्धृत किया जिनमें प्रतिबंधित उल्फा संगठन शामिल था।

बिहपुरिया पुलिस थाने में मामला सं. 168/2012 में, गुप्त सूचना के आधार पर एक तलाशी अभियान चलाया गया और विस्फोटक बरामद किए गए। गिरफ्तार व्यक्तियों में से एक आरोपी ने यह खुलासा किया कि एक कट्टर उल्फा नेता के अनुदेश के अनुसार हथगोले उसके घर में रखे गए थे।

नारायणपुर पुलिस थाना में मामला सं. 77/2012 उल्फा के दो संपर्क व्यक्ति/सहयोगी इस मामले के संबंध में गिरफ्तार किए गए। कट्टर उल्फा नेता से एक आरोपी द्वारा एक हथगोला लिया गया था जिसे श्री हरीश चंडक, अध्यक्ष नगर समिति, नारायणपुर के आवास पर विस्फोट किया जाना था।

एस डब्ल्यू-7 ने संगत दस्तावेजों सहित शपथ-पत्र के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किया। शपथ-पत्र को प्रदर्श एस डब्ल्यू-7/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया था जबकि 21 दस्तावेजों और साथ ही सत्य अनूदित प्रतियों को प्रदर्श एस डब्ल्यू-7/2 से लेकर प्रदर्श एस डब्ल्यू-7/22 के रूप में प्रदर्शित किया गया था।

x) एस डब्ल्यू-8-डॉ. जी.वी. शिवप्रसाद, पुलिस अधीक्षक, बारपेटा जिला, असम ने अभिसाक्ष्य दिया कि उनके जिले में यद्यपि उल्फा संगठन बहुत सक्रिय नहीं है तथा उनकी गतिविधियों को कम नहीं आंका जा सकता है क्योंकि वे वृहत् स्तर पर अवैध गतिविधियों तथा राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने और लोगों में आतंक फैलाने के कार्य में लिप्त रहा है। वे मांग पत्र भेजकर व्यावसायियों और सरकारी कर्मचारियों से जबरन वसूली और निधियां संग्रह करने के कार्य में भी लिप्त रहा है जिससे लोगों का शांतिपूर्ण जीवन बाधित हुआ है। गवाह ने जिले के रिकार्डों को एक घटना को उद्धृत किया जिसमें प्रतिबंधित उल्फा संगठन शामिल था।

पुलिस थाना सारथेबाड़ी के अंतर्गत मामला संख्या 61/2012 में दो उल्फा संपर्क व्यक्तियों को एक व्यापारी से जबरन धन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

एस डब्ल्यू-8 ने प्रदर्श एस डब्ल्यू-8/1 से लेकर प्रदर्श एस डब्ल्यू-8/6 के रूप में चिह्नित संगत दस्तावेजों सहित शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत किया था।

xi) एस डब्ल्यू-9- श्री मृदुलानन्द शर्मा, पुलिस अधीक्षक, धुबरी जिला, असम ने अभिसाक्ष्य दिया कि उल्फा के सदस्य सक्रिय हैं और वे वृहत् स्तर पर विधिविरुद्ध गतिविधियों तथा राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में लिप्त रहे हैं। गवाह ने जिले के रिकार्डों के अनुसार एक दृष्टांत उद्धृत किया जिसमें उल्फा के सदस्य शामिल थे।

गौरीपुर पुलिस थाना के अंतर्गत मामला सं. 147/11 में एक व्यक्ति को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। पूरी छानबीन के बाद उसके घर में तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान एक 7.62 एम एम पिस्टल और लाइव गोलाबारूद के 4 राउंड तथा विस्फोटक बरामद किए गए। साथ ही आरोपी के घर की तलाशी के दौरान उसकी बड़ी भाभी/साली जो एक कट्टर उल्फा काडर की पत्नी है, जिसके अभी बंगलादेश के जेल में होने की सूचना है, द्वारा लिखे गए तीन पत्र भी बरामद किए गए और गवाहों की उपस्थिति में उनको जब्त किया गया। जैसाकि आरोपी द्वारा कहा गया, उसने उल्फा गतिविधियों से हथियार, गोलाबारूद और विस्फोटक संग्रह किए थे।

एस डब्ल्यू-9 ने प्रदर्श एस डब्ल्यू-9/1 से लेकर प्रदर्श एस डब्ल्यू-9/4 के रूप में चिह्नित संगत दस्तावेजों सहित शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत किया था।

xii) एस डब्ल्यू 10 - श्री अभिजीत बोरा, पुलिस अधीक्षक, जिला-बोंगईगांव, असम ने बयान दिया कि उल्फा के सदस्य बहुत सक्रिय हैं और वे बड़े पैमाने पर विधिविरूद्ध गतिविधियों के साथ-साथ देश के खिलाफ युद्ध की कार्रवाइयों में संलिप्त रहे हैं। गवाह ने जिले के अभिलेखों के अनुसार एक घटना का उल्लेख किया जिसमें उल्फा के सदस्य शामिल थे।

बोंगईगांव पुलिस थाना मामला संख्या 314/2012 में एक व्यक्ति को एक जिंदा हथगोले के साथ गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति ने यह रहस्योदघाटन किया कि वह एक उल्फा काडर है और यह स्वीकार किया कि उसने उल्फा के निर्देश पर सुरक्षा बल कार्मिकों पर हथगोला फेंका था। उस विस्फोट में घायल हुए एक व्यक्ति ने बाद में गंभीर रूप से घायल होने के कारण अस्पताल में दम तोड़ दिया।

एस डब्ल्यू 10 ने प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ प्रमाणस्वरूप शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जिसे प्रदर्श एस डब्ल्यू 10/1 से प्रदर्श एस डब्ल्यू 10/7 के रूप में दर्शाया गया है।

xiii) एस डब्ल्यू 11 - श्री बिजय गिरि कुलीगाम, पुलिस अधीक्षक, जिला-शिवसागर, असम ने बयान दिया कि उल्फा के सदस्य बहुत सक्रिय हैं और वे बड़े पैमाने पर विधिविरूद्ध गतिविधियों के साथ-साथ देश के खिलाफ युद्ध की कार्रवाईयों में संलिप्त रहे हैं। गवाह ने जिले के अभिलेखों के अनुसार तीन घटनाओं का उल्लेख किया जिसमें उल्फा के सदस्य शामिल थे।

सिमालुगुड़ी पुलिस थाना मामला संख्या 83/11 में जांच के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जिसने उल्फा का सक्रिय सदस्य होना कबूल किया और उसकी पहचान उल्फा के स्वयंभू सार्जेंट के रूप में हुई थी। उसकी सूचना के आधार पर, पुलिस टीम ने दो रिमोट कंट्रोल विस्फोटक उपकरणों (आरसीईडी) और दो डेटोनेटरों सहित एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।

मथुरापुर पुलिस थाना मामला संख्या 29/12 में उल्फा कॉडर के एक गुट ने मथुरापुर पुलिस थाने के कैम्पस में एक हथगोला फेंका था। वह हथगोला अनुचित गन-पाउडर का होने के कारण नहीं फटा था। यह हथगोला उल्फा द्वारा अपने स्थापना दिवस (7 अप्रैल, 2012) के मौके

पर अपनी ताकत का इज़हार करने के लिए पुलिस थाना कैम्पस में फेंका गया था। तदुपरांत, एक उल्फा काडर को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसने पुलिस थाना मथुरापुर कैम्पस में हथगोला उल्फा के निदेश पर फेंका था।

मथुरापुर पुलिस थाना मामला सं. 44/12 में, उल्फा चरमपंथियों के एक समूह ने अभियान के दौरान सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की थी। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और लगभग 20 मिनट तक गोलीबारी जारी रही, जिसके दौरान कुछेक चरमपंथियों को कई एक बुलेट (गोलियां) लगीं। घटना स्थल से हथियार और गोला-बारूद एवं विस्फोटक भी बरामद हुए थे । बाद में एक लम्बे खोज अभियान के उपरांत, कई गोलियों से घायल एक उल्फा चरमपंथी पकड़ा गया था जो बाद में जिंदा बच गया था। उसने खुलासा किया कि हाल के मामले में उसके अलावा उल्फा समूह के तीन और काडर शामिल थे।

एस डब्ल्यू-11 ने प्रासंगिक दस्तावेजों सहित शपथ-पत्र के रूप में प्रमाण प्रस्तुत किए, जिन्हें प्रदर्श एस डब्ल्यू 11/1 से प्रदर्श एस डब्ल्यू 11/15 के रूप में प्रदर्शित किया गया।

(iv) एस डब्ल्यू 12 - श्री ए. पी. तिवारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गुवाहाटी शहर ने बयान दिया कि उल्फा के सदस्य सक्रिय हैं और वे बड़े पैमाने पर विधिविरुद्ध गतिविधियों के साथ-साथ देश के खिलाफ युद्ध की कार्रवाईयों में संलिप्त रहे हैं। गवाह ने जिले के अभिलेखों के अनुसार एक घटना का उल्लेख किया है जिसमें उल्फा के सदस्य सम्मिलित रहे हैं।

भंगागढ़ पुलिस थाने (मामला सं. 66/11) के अंतर्गत, जी.एस. रोड एबीसी, गुवाहाटी शहर स्थित राजीव भवन परिसर - सत्तारूढ़ असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राज्य मुख्यालय में एक आईईडी विस्फोट किया गया था । इस विस्फोट के कारण असम प्रदेश कांग्रेस समिति के चार सदस्यों को गंभीर चोटें आयीं। इस विस्फोट के सिलसिले में सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि गुवाहाटी शहर में इस प्रकार का बम विस्फोट करने के लिए उन्हें उल्फा द्वारा निदेश दिया गया था।

एस डब्ल्यू 12 ने प्रासंगिक दस्तावेजों सहित अपने शपथ-पत्र को प्रमाण-स्वरूप प्रस्तुत किया जिसे प्रदर्श एस डब्ल्यू 12/1 से प्रदर्श एस डब्ल्यू 12/4 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

गवाह ने बयान दिया कि दो दिन पहले, उल्फा ने इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया को एक ई-मेल भेजा था जिसमें उन्होंने बिहू उत्सव में भाग लेने वाले गायकों से हिन्दी गीत न गाने की चेतावनी दी थी । रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उल्फा के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने गायक जुबीन गर्ग जिसने बिहू उत्सव में भाग लिया था, को सुरक्षा मुहैया कराई। इस मामले को सभी समाचार पत्रों ने सुर्खियों में प्रकाशित किया था। उन्होंने 'द टेलीग्राफ' अंग्रेजी अंक तथा 'प्रात: खबर' हिन्दी अंक नामक समाचार पत्र प्रस्तुत किए जिनमें यह समाचार सुर्खियों में छपे थे। समाचार पत्रों को क्रमश: प्रदर्श एस डब्ल्यू 12/5 और प्रदर्श एस डब्ल्यू 12/6 के रूप में दर्शाया गया है।

xv) एस डब्ल्यू 13 - श्री भक्त बहादुर छेत्री, पुलिस अधीक्षक, कारबी आंगलांग ने बयान दिया कि उल्फा के सदस्य बहुत सक्रिय हैं और वे विधिविरुद्ध गतिविधियों के साथ-साथ देश के खिलाफ युद्ध की कार्रवाईयों में संलिप्त पाए गए हैं। गवाह ने जिले के अभिलेखों के अनुसार एक घटना का उल्लेख किया जिसमें उल्फा के सदस्य शामिल थे।

एक विशिष्ट सूचना के आधार पर एक व्यक्ति के घर में तलाशी अभियान शुरू किया गया था। तलाशी के दौरान, जब्ती सूची के अनुसार 48 सिम कार्ड बरामद हुए और उन्हें जब्त किया गया था। उक्त व्यक्ति से पूछताछ के दौरान यह तथ्य सामने आया कि वे "सिम" कार्ड प्रतिबंधित उल्फा संगठन के नेताओं को मुहैया कराने के लिए खरीदे गए थे और इन "सिम" कार्डों का उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सूचना के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इसके उपरांत, तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और जांच में पाया गया कि वे उल्फा के सदस्य थे और देश के खिलाफ युद्ध का षडयंत्र रच रहे थे। यह डोकमोका पुलिस थाना मामला संख्या 16/2011 के संदर्भ में है।

एस डब्ल्यू 13 - ने प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ शपथ-पत्र के रूप में प्रमाण प्रस्तुत किए जिन्हें प्रदर्श एस डब्ल्यू 13/1 से प्रदर्श एस डब्ल्यू 13/6 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

xvi) एस डब्ल्यू 14 - श्री विवेक राज सिंह, भा.पु.से. पुलिस अधीक्षक, जिला-नागांव ने बयान दिया कि उल्फा के सदस्य बहुत सक्रिय हैं और वे बड़े पैमाने पर विधिविरुद्ध गतिविधियों के साथ-साथ देश के खिलाफ युद्ध की कार्रवाईयों में संलिप्त रहे हैं। गवाह ने जिले के अभिलेखों के अनुसार दो घटनाओं का उल्लेख किया जिसमें उल्फा के सदस्य शामिल थे।

गुप्त सूचना के आधार पर, एक तलाशी अभियान शुरू किया गया था जहां दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और एक अभियुक्त ने खुलासा किया कि वह उल्फा का सदस्य है (कामरूप पुलिस थाना मामला संख्या 143/12)।

नागांव पुलिस थाना मामला संख्या 334/11 में, एक व्यापारी से जबरन धन वसूली के मामले में एक अभियुक्त ने खुलासा किया कि वह उल्फा का सदस्य है।

एस डब्ल्यू 14 - ने अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ प्रमाण-स्वरूप अपना शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जिन्हें प्रदर्श एस डब्ल्यू 14/1 से प्रदर्श एस डब्ल्यू 14/10 के रूप में प्रदर्शित किया गया।

xvii) एस डब्ल्यू 15 - बीर बिक्रम गोगोई, पुलिस अधीक्षक, जिला -बकसा ने बयान दिया कि बकसा जिले में उल्फा के सदस्य बहुत सक्रिय हैं और वे सरकार के प्राधिकार को नकारते हुए बड़े पैमाने पर विधिविरुद्ध और हिसंक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं और लोगों के बीच आतंक फैलाते रहे हैं। वे निर्दोष सिविलियनों की हत्याओं, सरकारी कर्मचारियों के अपहरण, आम आदमियों से जबरन धन-वसूली, आत्म समर्पण कर चुके उल्फा कार्यकर्ताओं और हिन्दी भाषी लोगों को निशाना बनाने में भी संलिप्त पाए गए हैं और इन गतिविधियों के द्वारा सामान्य जन-जीवन में भारी बाधा खड़ी करते रहे हैं। इन आपराधिक गतिविधियों के कारण विभिन्न पुलिस थानों में उनके विरुद्ध बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं और समय-समय पर काफी संख्या में उल्फा काडरों को गिरफ्तार किया गया है। जिले के अभिलेख के अनुसार गवाह ने एक घटना का उल्लेख किया है जिसमें उल्फा के सदस्य शामिल थे।

बारबारी पुलिस थाना मामला संख्या 19/11 में 4 से 5 उल्फा काडरों के एक समूह के पनाह लिए जाने की विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर, एक संयुक्त कार्रवाई दल भेजा गया। वहां कार्रवाई दल और उग्रवादियों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई जो 12 से 15 मिनट तक जारी रही। घटना स्थल से एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली जिसके कई गोलियां लगी थीं, उसके साथ ही हथियार और गोला-बारूद तथा विस्फोटक भी बरामद हुआ। इसके बाद मृतक की एक कुख्यात उल्फा चरमपंथी के रूप में पहचान की गई।

एस डब्ल्यू 15 ने प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ प्रमाण स्वरूप अपना शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जिन्हें प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/1 से प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/4 के रूप में प्रदर्शित किया गया।

xviii) एस डब्ल्यू 16 - पी.आर. कार, पुलिस अधीक्षक, जिला-नालबाड़ी, असम ने बयान दिया कि उल्फा के सदस्य सक्रिय हैं और वे बड़े पैमाने पर विधिविरुद्ध गतिविधियों के साथ-साथ देश के खिलाफ युद्ध की कार्रवाईयों में संलिप्त रहे हैं। गवाह ने जिले के अभिलेख के अनुसार दो घटनाओं का उल्लेख किया जिनमें उल्फा के सदस्य शामिल थे।

टिहू पुलिस थाने में मामला संख्या 79/2011 के तहत, टिहू पुलिस थाना कैम्पस में एक बम विस्फोट हुआ था। इस मामले के सिलसिले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी जिसने कबूल किया कि उल्फा द्वारा उसे टिहू पुलिस थाना कैम्पस में हथगोला फेंकने के लिए लगाया गया था।

नालबाड़ी पुलिस थाना मामला संख्या 291/2011 में, तलाशी के दौरान दो व्यक्तियों को हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटकों समेत गिरफ्तार किया गया था। दोनों अभियुक्तों ने यह कबूल किया कि वे उल्फा के सदस्य हैं।

एस डब्ल्यू 16 ने प्रासंगिक दस्तावेजों के सहित प्रमाण-स्वरूप अपना शपथ-पत्र प्रस्तुत किया था जिन्हें प्रदर्श एस डब्ल्यू 16/1 से प्रदर्श एस डब्ल्यू 16/18 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

2946 GI/13-4

xix) एस डब्ल्यू 17 - रतना कान्ता शर्मा, टिहू पुलिस स्टेशन, जिला नालबाड़ी के उप-निरीक्षक ने बयान दिया कि 2 सितम्बर, 2011 को करीब 6.55 बजे अपराह्न टिहू पुलिस स्टेशन परिसर में एक बम धमाका हुआ जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 79/2011, पुलिस स्टेशन टिहू में दर्ज की गई थी।

उक्त घटना का गवाह स्वयं जांच अधिकारी है। जांच अभी भी लंबित है। साक्ष्य शपथ-पत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें जांच का विस्तृत ब्यौरा निहित है। शपथ-पत्र प्रदर्श एस डब्ल्यू 17/1 है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधी संगत दस्तावेजों को प्रदर्श एस डब्ल्यू 16/2 से प्रदर्श एस डब्ल्यू 16/18 तक के रूप में एस डब्ल्यू 16 द्वारा प्रमाणित किया गया है।

xx) एस डब्ल्यू 18 - खनिंद्रा दास, नालबाड़ी पुलिस स्टेशन, जिला नालबाड़ी, असम के उप-निरीक्षक ने बयान दिया कि 18 मई, 2011 को करीब 1.30 बजे अपराह्न में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस स्टेशन, नालबाड़ी में दर्ज की गई कि 17 मई, 2011 को 10.40 अपराह्न में, दो उल्फा काडर के व्यक्तियों से असला बरामद किया गया जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 291/2011 दर्ज की गई थी। उक्त घटना के गवाह स्वयं जांच अधिकारी हैं। जांच अभी भी लंबित है। साक्ष्य शपथ-पत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें जांच का ब्यौरा निहित है। शपथ-पत्र प्रदर्श एस डब्ल्यू 18/1 है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधी संगत दस्तावेजों को उनके वरिष्ठ अधिकारी, एस डब्ल्यू 16 द्वारा प्रदर्श एस डब्ल्यू 16/2 से प्रदर्श एस डब्ल्यू 16/18 के रूप में प्रमाणित किया गया है।

xxi) एस डब्ल्यू 19 - जिबन दास, पुलिस स्टेशन सिमलगुड़ी, जिला शिवसागर, असम के उप-निरीक्षक ने बयान दिया कि 25 सितम्बर, 2011 को करीब 6.00 बजे पूर्वाह्न में मारुति इको कार सं. एएस-04-एच-0712 में सफर कर रहे अभियुक्तों से दो रिमोट संचालित विस्फोटक उपकरण और दो डिटोनेटर बरामद किए गए थे, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 83/2011 सिमलगुड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। पूछताछ के दौरान, अभियुक्तों ने यह कबूल किया कि वे उल्फा के इशारे पर कार्य कर रहे हैं। उक्त घटना के गवाह स्वयं जांच अधिकारी हैं। जांच अभी लंबित है। साक्ष्य शपथ-पत्र द्वारा प्रस्तुत किए गया है जिसमें जांच का ब्यौरा उपलब्ध है। शपथ-पत्र प्रदर्श एस डब्ल्यू 19/1 पर प्रदर्शित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधी संगत दस्तावेजों को उनके वरिष्ठ अधिकारी एस डब्ल्यू 11 द्वारा प्रदर्श एस डब्ल्यू 11/2 से प्रदर्श एस डब्ल्यू 11/15 के रूप में प्रमाणित किया गया है।

xxii) एस डब्ल्यू 20 - नेत्र कमल सैकिया, मथुरापुर पुलिस स्टेशन, जिला शिवसागर, असम के उप-निरीक्षक ने बयान दिया कि 29/30 मार्च, 2012 को उल्फा काडर के समूह ने मथुरापुर, पुलिस स्टेशन के अहाते में एक ग्रेनेड फैंका। हालांकि, अनुचित प्राइमिंग की वजह से वह नहीं फटा और इसलिए, एक हादसा टल गया। 31 मई,2012 को एक उल्फा काडर नामत: हिरेन गोगोई उर्फ रोबिन मोरई को मुठभेड़ के बाद बंदी बना लिया गया और उसने कबूला कि उल्फा के इशारे पर उसने ग्रेनेड फेंका है।

30 मई, 2012 को, पुलिस और उल्फा काडरों के बीच एक मुठभेड़ हुई जिसके फलस्वरूप भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया। उक्त अपराधों के संबंध में मथुरापुर पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 29/12 और 44/12 दर्ज की गई थी।

दोनों मामलों में जांच अधिकारी गवाह हैं । जांच अभी लंबित है। साक्ष्य शपथ-पत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें जांच का विस्तृत ब्यौरा निहित है। शपथ-पत्र प्रदर्श एस डब्ल्यू 20/1 के रूप में दर्शाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधी संगत दस्तावेजों को उनके वरिष्ठ अधिकारी एस डब्ल्यू 11 द्वारा प्रदर्श एस डब्ल्यू 11/2 से प्रदर्श एस डब्ल्यू 11/15 के रूप में प्रमाणित किया गया है।

xxiii) एस डब्ल्यू 21 - खरगेश्वर रब्हा, बोंगईगांव पुलिस स्टेशन, जिला बोंगईगांव, असम के उप-निरीक्षक ने बयान दिया कि 11 सितम्बर, 2012 को करीब 8.20 बजे अपराह्न असम ऑयल कम्पनी पेट्रोल पंप के निकट एक बम धमाका हुआ जिसके सबंध में पुलिस स्टेशन बोंगईगांव में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 314/2012 दर्ज की गई थी।

उक्त मामले में जांच अधिकारी स्वयं गवाह है। जांच अभी लंबित है। साक्ष्य शपथ-पत्र में प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें जांच का विस्तृत ब्यौरा निहित है। शपथ-पत्र प्रदर्श एस डब्ल्यू 21/1 के रूप में दर्शाया गया है । प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधी संगत दस्तावेजों को प्रदर्श एस डब्ल्यू 10/2 से प्रदर्श एस डब्ल्यू 10/7 के रूप में उनके वरिष्ठ अधिकारी, एस डब्ल्यू 10 द्वारा प्रमाणित किया गया है।

xxiv) एस डब्ल्यू 22 - सुरेन बेलंग, पुलिस स्टेशन बारबरूहा, जिला-डिब्रूगढ़, असम के उप निरीक्षक ने बयान दिया है कि एक गुप्त सूचना के आधार पर दिनांक 27 नवम्बर, 2011 को पुलिस ने मिडाला टी ईस्टेट क्षेत्र में एक साझा खोज अभियान चलाया। दो मोटर साइकिलों पर चार व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में घूमते हुए पाए गए और उनमें से एक को रोका गया तो उसने फायर किया और भागने में सफल हो गया। करीब 15 किलो का एक आईईडी, एक बोतल ग्रेनेड इत्यादि स्थल से बरामद किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 157/2011 पुलिस स्टेशन बारबरुआ में दर्ज की गई थी।

उक्त मामले के गवाह स्वयं जांच अधिकारी हैं। जांच अभी लंबित है। साक्ष्य शपथ-पत्र में प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें जांच का विस्तृत ब्यौरा निहित है। शपथ-पत्र प्रदर्श एस डब्ल्यू 22/1 के रूप में दर्शाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधी संगत दस्तावेजों को प्रदर्श एस डब्ल्यू 22/2 से प्रदर्श एस डब्ल्यू 22/13 के रूप में उनके वरिष्ठ अधिकारी एस डब्ल्यू 22 द्वारा प्रमाणित किया गया है।

xxv) एस डब्ल्यू 23 - जाहरलाल बरुआ, जिला- डिब्रूगढ़, असम के छबुआ पुलिस स्टेशन के उप-निरीक्षक ने बयान दिया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर 27 जून, 2012 को 10.45 बजे अपराह्न में एक मोटर साइकिल को रोका गया और एक जिन्दा ग्रेनेड पीछे बैठे हुए व्यक्ति से बरामद किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 98/2012 पुलिस स्टेशन छबुआ में दर्ज की गई थी।

उक्त मामले का गवाह स्वयं जांच अधिकारी है। जांच अभी लंबित है। साक्ष्य शपथ-पत्र में प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें जांच का विस्तृत ब्यौरा निहित है। शपथ-पत्र प्रदर्श एस डब्ल्यू 23/1 के रूप में दर्शाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधी संगत दस्तावेजों को प्रदर्श एस डब्ल्यू 2/2 से प्रदर्श एस डब्ल्यू 2/13 के रूप में उनके वरिष्ठ अधिकारी एस डब्ल्यू 2 द्वारा प्रमाणित किया गया है।

xxvi) एस डब्ल्यू 24 - जितमोल डोले, पुलिस अधीक्षक, जिला-दर्रांग असम ने बयान दिया कि उनके जिले में उल्फा के सदस्य बहुत सक्रिय हैं और वे बड़े पैमाने पर विधिविरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त हैं। जिले के आंकड़ों के मुताबिक उन्होंने तीन प्रकरणों का उल्लेख किया है जिसमें उल्फा के सदस्य संलिप्त हैं।

मंगलदाई पुलिस थाना मामला संख्या 76/2012 में गोलीबारी से एक सिविलियन मारा गया था और दो अन्य घायल हुए थे। जांच से ये पता चला कि इसमें उल्फा के सदस्य संलिप्त थे और इस मामले में चार लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। जांच से यह भी पता चला कि यह मामला जबरन धन वसूली से संबंधित था।

सिपाझार पुलिस थाना मामला संख्या 155/12 में, सीआईसीआईएसयू (गजराज कैंप) की सूचना पर पुलिस द्वारा एक आपरेशन शुरू किया गया। सूचना के मुताबिक एक उल्फा कॉडर शस्त्र तथा गोला-बारूद लेकर जा रहा था। खोजबीन के दौरान उल्फा कॉडर को एक जीवित चाइनीज हथगोले सहित गिरफ्तार कर लिया गया।

मंगलदाई पुलिस थाना मामला सं. 735/11 में, एक उद्योगपति को पांच लाख रूपये की जबरन वसूली का नोटिस भेजा गया। खुफिया जानकारी से यह संकेत मिला कि दर्राग जिले से कार्य कर रहे एक उल्फा काडर ने पांच लाख रूपये की जबरन धन वसूली की मांग की है। एस डब्ल्यू 24 ने संबंधित दस्तावेजों सहित शपथ-पत्र पर एक साक्ष्य प्रस्तुत किया है जो प्रदर्श एस डब्ल्यू 24/1 से प्रदर्श एस डब्ल्यू 24/18 के रूप में प्रदर्शित है।

xxvii) एस डब्ल्यू 25 - रूद्रेश्वर डेका, उप-निरीक्षक, गौरीपुर पुलिस थाना, धुबरी जिला, असम ने यह बयान दिया है कि 03 अप्रैल, 2011 को शाम 7.30 बजे लगभग, गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति नारायण रंजन रॉय को गिरफ्तार किया गया। जिरह के दौरान, एक 7.62 एम.एम. की पिस्तौल जो, चार राउंड जीवित असला और मैगज़ीन सहित एक थैली में लपेट कर, घर के पिछवाड़े जमीन में दबा कर रखी थी, बरामद की गई। आगे खोजबीन किए जाने पर थैली में लपेट कर रखी गई आर.डी.एक्स. की चार स्लैब, स्विच बोर्ड तथा तारें पास के मैदान से बरामद की गईं। पुलिस ने अभियुक्त की बड़ी भाभी द्वारा लिखे गए तीन पत्र भी बरामद किए। विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1क) तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 121/121(क)/122 के तहत एफआईआर सं. 147/2011 दर्ज की गई।

गवाह उक्त मामले की वर्तमान स्थिति के पूरे रिकॉर्ड लेकर नहीं आया था। उसने बयान देने के अगले दिन अर्थात् 18 मई, 2013 को कार्यालय पुलिस अधीक्षक, धुबरी द्वारा दिनांक 17

मई, 2013 को जारी एक पत्र की प्रति प्रस्तुत की जिसमें यह वर्णित था कि दोनों अभियुक्त 2011 से ही जमानत पर थे । यह मामला मुख्य अभियुक्त दृष्टि राजखोवा, डिप्टी कमांडेंट इन चीफ ऑफ उल्फा, जिसने कथित रूप से बंगलादेश में शरण ली हुई है, को गिरफ्तार करने के लिए लंबित है। दिनांक 17 मई, 2013 का उक्त पत्र प्रदर्श एस डब्ल्यू 25/2 पर है।

इस मामले में जांच अधिकारी गवाह हैं। साक्ष्य एक शपथ-पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें जांच के विवरण निहित हैं । यह शपथपत्र प्रदर्श एस डब्ल्यू 25/1 के रूप में प्रदर्शित है। एफआईआर से संबंधित दस्तावेज उनके वरिष्ठ अधिकारी, एस डब्ल्यू सं. 9 द्वारा प्रमाणित किए गए हैं जो प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/2 से प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/4 के रूप में हैं।

22. असम राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित मामलों का संदर्भ लिया व इन्हीं पर से निर्भर रहे : **जमात-ए-इस्लामी हिन्द बनाम भारत संघ** (1995 (1) एससीसी 428); भारत संघ **नाम स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया** (99(2002) डीएलटी 147); **खत्री बनाम बिहार राज्य** (1981) 2 (एससीसी 493); **सुमन बनाम तमिलनाडु राज्य** (एआईआर 1986 मद्रास 318); **नन्दिनी सतपथी बनाम पी.एल.दानी** (एआईआर 1978 एस.सी. 1025); **भारत संघ बनाम तुलसीराम पटेल** (एआईआर 1985 एससी 1416)।

23. इस न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां सारांशात्मक तथा अभिशपथ मूलक रूप में हुई। इसमें साक्ष्य के नियम का सख्ती से पालन शामिल नहीं है। संबंधित दस्तावेज जैसे एफआईआर, जब्त सामान की सूची, अभियुक्त का बयान, शिकायत(तें), दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज गवाही प्रथमदृष्टया उल्फा का शामिल होना दर्शाती है और इसे विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाना चाहिए।

24. जिला पुलिस अधिकारियों, पुलिस अधीक्षक, एस ओ यू, विशेष शाखा, असम पुलिस, जांच अधिकारी तथा एक राज्य अधिकारी के तथ्यपूर्ण बयानों से, भारत संघ से अलग हो जाने के उद्देश्य से विभिन्न अपराधों में उल्फा की संलिप्तता सिद्ध होती है।

25. उपलब्ध साक्ष्यों के एक विश्लेषण से, यह सिद्ध होता है कि यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असोम (उल्फा), जो 7 अप्रैल, 1979 को शिवसागर जिले में ऐतिहासिक रोंघर मैदान में अस्तित्व

में आया एवं मार्क्सवाद तथा माओ-लेनिनवाद की विचारधाराओं का प्रतिपालक संगठन है, जिसका उद्देश्य असम में एक स्वतंत्र, समाजवादी संप्रभुता वाले प्रजातांत्रिक देश की स्थापना करना है। उल्फा के संविधान के अनुसार इसके उद्देश्य एवं लक्ष्य निम्नलिखित अनुसार हैं:-

(i) असम की विभिन्न जनजातियों की स्वायत्तता के अधिकारों की मांग द्वारा क्षेत्र के आर्थिक-सामाजिक तथा भौगोलिक परिवेश में, उपयुक्त ढंग से एक वैज्ञानिक तथा सामाजिक राष्ट्र की स्थापना करना।

(ii) असम के राजस्व स्रोतों यथा तेल तथा प्राकृतिक गैस, वनों आदि पर पूर्ण नियंत्रण रखना।

(iii) भारतीय तथा गैर भारतीय के शोषण के विरुद्ध लोक समर्थन प्राप्त करना।

(iv) असमिया जनसमूह के दमन और उत्पीड़न के विरुद्ध खड़ा होना।

(v) सामान्य एवं विशेष उद्देश्य वाली शक्तियों के विरुद्ध लड़ना।

(vi) अपने लक्ष्यों व मनसूबों की प्राप्ति हेतु उल्फा के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप विदेशी राष्ट्रों के साथ राजनैतिक सहायता के लिए परिचर्चा एवं समझौतों का मार्ग खोलना, तथा

(vii) समरूप विचारों, विचारधाराओं एवं राजनैतिक समझ वाले राष्ट्रों के साथ विचारों एवं परस्पर सहायता का आदान-प्रदान करना।

26. उन गवाहों, जिन्होंने उल्फा के विधिविरुद्ध तथा अवैध क्रियाकलापों के विषय में बयान दिया है, के शपथ-पत्रों के संयुक्त अध्ययन तथा उनके द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष दिए गए बयानों से बेशक यह सिद्ध होता है कि उल्फा की अवैध और हिंसक गतिविधियों का उद्देश्य असम को स्वतंत्र कराने के अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए भारत की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता को छिन्न-भिन्न करना है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उक्त उद्देश्यों के लिए, उल्फा एक ऐसा

क्रांतिकारी राजनीतिक दल है, जिसने पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विधिविरुद्ध तथा प्रतिबंधित संगठनों के साथ स्वयं को जोड़ रखा है और असम को भारत से पृथक करने के विचार से प्रतिबंध के दौरान अपने पोषण के लिए जबरन धन वसूली, हत्या और फिरौती के लिए अपहरण सहित विभिन्न विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में शामिल रहा है।

27. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उल्फा ने अपना स्वयं का ध्वज और प्रतीक अपना लिया और अपने स्वयं की केन्द्रीय कार्यकारी विधानसभा और न्यायिक विभाग सहित अपनी स्वयं की अवसंरचना की व्यवस्था कर ली है। उल्फा के संविधान में विदेश सचिव और सेनाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। सभी गवाहों ने सर्वसम्मति से उल्फा द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बम विस्फोटों, हत्याओं, जबरन धन वसूली जैसे उत्पीड़क तरीकों और इस गुट और इसके विभिन्न विंगों द्वारा उत्पन्न आतंक के आम वातावरण के बारे में बयान दिए हैं।

28. उल्फा को आरंभ में दिनांक 26 नवंबर, 1990 को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया था और इसको विधिविरुद्ध संगम घोषित करने वाली निरंतर अधिसूचनाओं के बावजूद, इसकी आपराधिक गतिविधियां अभी तक जारी हैं। सशस्त्र संघर्ष छेड़कर भारत की अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने और एक स्वतंत्र और संप्रभुता सम्पन्न असम की स्थापना करने का हिंसक तरीकों से अभी भी प्रचार किया जा रहा है। उल्फा पर इसकी अवैध गतिविधियां रोकने संबंधी लगातार प्रतिबंधों के बावजूद, इसकी आपराधिक गतिविधियां अभी भी जारी हैं। जबरन धन वसूली के प्रयासों और वास्तव में की जा रही जबरन धन वसूली से पता चलता है कि किस प्रकार अपनी हिसंक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए धन इक्कठा किया जा रहा है। प्रदर्श एस डब्ल्यू 26/1 सीमा पर विदेशी प्राधिकारियों से संरक्षण प्राप्त करने के एक प्रयास को दर्शाता है।

29. उल्फा की गतिविधियों को उचित रूप दर्ज कर लिया गया है और उनके बारे में असम की विशेष शाखा और पुलिस मुख्यालय को सूचित कर दिया गया है । विभिन्न एफआईआर, गवाहों के बयान, जब्ती सूची, मांग पत्रों की प्रतियों, जबरन धन वसूली के नोट और अपनी आपराधिक गतिविधियों को स्वीकार करने वाले पूछताछ संबंधी विवरणों सहित अभियुक्तों के बयानों को लगभग सभी गवाहों ने रिकॉर्ड में प्रमाणित किया है। प्रदर्श एस डब्ल्यू 26/1 के पढ़ने पर, यह स्पष्ट होता है कि आईएसआई और चीन के साथ उल्फा के नापाक संबंधों ने राज्य की

आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में एक नया आयाम जोड़ दिया है । उल्फा म्यांमार में प्रशिक्षण शिविर चला रहा है जहां से वे असम क्षेत्र में मारो और भागो की रणनीति अपना कर गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का परिचालन और कार्यान्वयन करते रहे हैं। इसने भारत-भूटान सीमा से सटी तलहटी में छिपने के स्थान भी बना लिए हैं। कुछ उल्फा काडर स्टॉफ के मुखिया, परेश बरुआ के सीधे कमांड और नियंत्रण के अंतर्गत साइनो-म्यांमार सीमा के नजदीक लगने वाले क्षेत्र में शिविर बना रहे हैं। गवाहों ने यह भी उजागर किया है कि उल्फा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विद्रोही गुटों के साथ परिचालानात्मक समझौता कायम किए हुए हैं। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर असम में कानून एवं व्यवस्था परिदृश्य के लिए खतरनाक पूर्वाभास मिलते हैं। दिनांक 22 मई, 2013 की सुनवाई के दौरान सील बंद लिफाफों, जिनको क से ङ के रूप में चिह्नित किया गया है, को भी खोल कर पढ़ा गया और पुन: सील बंद किया गया। उनमें मौजूद विषय-वस्तु की छानबीन करने के पश्चात, अधिकरण का मत है कि इस बात की पुष्टि के लिए पर्याप्त सामग्री है कि यह एक विधिविरुद्ध संगम है।

30. उल्फा नेतृत्व ने अभी भी अपना भर्ती अभियान चला रखा है और इसने राज्य के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती की है। उल्फा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विद्रोही एवं प्रतिबंधित और इससे सटे राज्यों में सक्रिय संगठनों के साथ परिचालनात्मक समझौता कायम किए हुए है। उल्फा लगातार भारत के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बहिष्कार का आह्वान करता है। इसके अतिरिक्त उल्फा ने हाल में प्रसिद्ध असमिया गायक, श्री जुबीन गर्ग को बिहू उत्सव के दौरान हिन्दी गाना गाने के लिए धमकी दी थी जिसके जरिए देश की अखंडता और एकता को गंभीर चुनौती दी गई है।

31. 27 नवंबर, 2010 से 26 नवंबर, 20112 तक की प्रतिबंधित अवधि के दौरान, उल्फा आतंकवादी हिंसा की 109 घटनाओं में शामिल थे जिनमें उन्होंने 15 व्यक्तियों की हत्या कर दी थी और 76 व्यक्तियों को घायल कर दिया था। सुश्री बन्या गोगोई, पुलिस अधीक्षक एसओयू असम (एस डब्ल्यू 26) द्वारा दायर शपथ-पत्र पर दिए साक्ष्य में प्रदर्श एस डब्ल्यू 26/12 के रूप में इन घटनाओं का वर्णन करने वाला एक विस्तृत चार्ट प्रदर्शित किया गया है।

32. उल्फा भारत की संप्रभुता और अखंडता को भंग करने के विचार से अनेक हिंसक गतिविधियों में शामिल होकर, असम को भारत से स्वतंत्र कराने के लक्ष्य की प्रतिज्ञा कर रहा है

और लोगों में गहरी असुरक्षा की भावना पैदा करने, जबरन धन वसूलने, हत्या करने, धमकाने, डराने में संलिप्त होने, अपहरण, लूटपाट, जबरन भूमियों और भवनों को कब्जाने जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है और उल्फा को प्रतिबंधित करने से सुरक्षा बल और देश की विधि प्रवर्तन एजेंसियां उल्फा से प्रभावी ढंग से निपटने और भारत की अखंडता और संप्रभुता की सुरक्षा करने में सक्षम होंगी।

33. उल्फा द्वारा किए जा रहे उपर्युक्त विधिविरुद्ध क्रियाकलाप भारत संघ की सुरक्षा और अखंडता के लिए नुकसानदायक हैं। भारत से विलग होने के लिए उल्फा की हिसंक गतिविधियों ने भारत तथा असम राज्य की अखंडता और संप्रभुता के समक्ष एक खतरनाक चुनौती खड़ी कर दी है। उल्फा द्वारा एक दशक से भी अधिक समय से जारी हिंसा ने असम राज्य के विकास को बाधित किया है।

34. इस अधिकरण ने भारत की केन्द्र सरकार द्वारा उल्फा संगठन को प्रतिबंधित करने वाली दिनांक 27 नवंबर, 2012 की अधिसूचना को जारी करने से संबंधित सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और केन्द्र सरकार तथा असम राज्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर विचार करने और उल्फा द्वारा उपर्युक्त तथ्यों अथवा इस संगठन द्वारा किसी विद्रोह से किसी प्रकार के इंकार के अभाव में, यह स्पष्ट होता है कि जो हिंसक गतिविधियां असम राज्य में अशांति पैदा कर रही हैं, वो राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षा के लिए नुकसानदायक हैं और इस प्रकार उक्त अधिनियम की धारा (ण) के तहत एक विधिविरुद्ध क्रियाकलाप हैं।

35. रिकॉर्ड किए गए समस्त साक्ष्य के संचित विश्लेषण से निसंदेह यह प्रतीत होता है कि उल्फा की गतिविधियां विधिविरुद्ध हैं और केन्द्र सरकार का यह निष्कर्ष कि उक्त संगम विद्रोही और हिसंक गतिविधियों में शामिल रहा है और इसने केन्द्र सरकार के प्राधिकार की अनदेखी करके अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों में आतंक और हिंसा फैलाई है, पूरी तरह से न्यायोचित है। केन्द्रीय सरकार की यह राय भी न्यायोचित है कि उक्त संगम असम को स्वतंत्र कराने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को विघटित करने के इरादे से विभिन्न अवैध एवं हिसंक गतिविधियों में संलिप्त है, असम को भारत से अलग करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विधिविरुद्ध संगमों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है तथा अपने लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुकरण में विधिविरुद्ध संगम के रूप में उसकी घोषणा की अवधि के दौरान कई विधिविरुद्ध और हिसंक गतिविधियों में लिप्त था जो कि भारत की संप्रभुता अखंडता के लिए हानिकारक हैं।

36. केन्द्र सरकार और असम राज्य दोनों ने इस निष्कर्ष के पक्ष में पर्याप्त साक्ष्य जुटा लिए हैं कि उक्त संगम आम नागरिकों और पुलिस तथा सुरक्षा बलों के कार्मिकों की लगातार हत्या करने, असम राज्य में आम जनता से जबरन निधियां वसूलने, असम में सुरक्षित शरणगाह, प्रशिक्षण, हथियार एवं गोला-बारूद के प्रापण के उद्देश्य से राज्य में शिविरों को स्थापित करने और संचालित करने में लिप्त रहा है। अधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार असम राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए सभी आवश्यक कदमों के बावजूद सम्पूर्ण साक्ष्य का विरोध नहीं किया गया है।

37. केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के पास इस बात के भी पर्याप्त साक्ष्य हैं कि उक्त संगम ने अपनी विघटनकारी, विद्रोही और हिसंक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काडरों को सक्रिय किया है। उन्होंने भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता के विरोधी बलों के सहयोग से राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का प्रचार किया है। उक्त संगम अवैध हथियारों और गोला-बारूद से आम नागरिकों, पुलिस और सुरक्षा बल कार्मिकों की हत्या करने में निरन्तर लिप्त रहा है। उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत, केन्द्र सरकार ने कथित अधिनियम की धारा 3(1) तथा अधिनियम की धारा 3(3) के परंतुक के तहत की गई घोषणा की पुष्टि के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत किए हैं।

38. परिणामस्वरूप, यह निर्णय लिया जाता है कि दिनांक 27 नवंबर, 2012 की अधिसूचना को जारी करना पूर्णतया न्यायोचित है। दिनांक 27 नवंबर, 2012 से दो वर्ष की अवधि के लिए उल्फा को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने का पर्याप्त कारण है और इसलिए, उक्त अधिसूचना की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है।

39. ऊपर उल्लिखित के अनुसार संदर्भ का उत्तर दिया जाता है।

ह./-

न्यायमूर्ति जे.आर. मिढा

(अधिकरण)

24 मई, 2013

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2013

S.O. 2002(E).—In terms of section 4(4) of the Unlawful activities (Prevention) Act, 1967, the order of the Tribunal presided over by Hon'ble Justice Shri J.R. Midha, Judge, Delhi High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the association, namely the United Liberation Front of Asom (ULFA) of Assam as unlawful is published for general information:

[No. 11011/81/2012-NE.V]
SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

TRIBUNAL UNDER THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967

In the matter of:

UNITED LIBERATION FRONT OF ASOM (ULFA) OF ASSAM

24.5.2013

CORAM:

HON'BLE MR. JUSTICE J.R. MIDHA

PRESENT: Mr. Rajeeve Mehra, Additional Solicitor General, Mr. Himanshu Bajaj, Central Government Standing Counsel for Union of India, Mr. Tushar Singh and Mr. Ashish Virmani, Advocates for Union of India along with Mr. S.C. Rawat, Section Officer, Ministry of Home Affairs, Government of India

Mr. Avijit Roy with Ms. Barnali Das, Advocates for the State of Assam.

IN ATTENDANCE:- Mr. H.C. Suri, Registrar

ORDER

1. The Central Government in exercise of its power conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (herein referred as "Act") has declared United Liberation Front of Asom (ULFA) along with all its factions, wings and front organizations as unlawful association vide notification No. S.O. 2799 (E) dated 27th November, 2012.

2. By the abovementioned notification, the Central Government has opined that ULFA has:-

2.1 Indulged in various illegal and violent activities intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of liberating Assam;

2.2. Aligned itself with other unlawful associations of North Eastern Region to secede Assam from India;

2.3. In pursuance of its aim and objectives, engaged in several unlawful and violent activities during the currency of its declaration as an unlawful association.

3. The Central Government has noted that the unlawful and violent activities of ULFA include:-

3.1. Seventy five incidents of violence during the period from 1st January, 2011 to 30th September, 2012;

3.2. Killing of eleven persons including four Security Forces personnel during the period from 1st January, 2011 to 31st

3.3. Indulging in a spate of extortion and secessionist activities, and endangering lives of innocent citizens, in addition to acts of kidnapping for ransom; and

3.4. Instructing its cadres to carry out acts by targeting the establishments of security forces and their personnel, political leaders, railways and oil installations;

3.5. Establishing sanctuaries and training camps in neighbouring countries; and

3.6. Embarking upon restructuring of its organizational network at the grass root level by launching a quite but systematic drive for recruitment of fresh cadres while continuing its violent and insurgent activities.

4. The Central Government was of the opinion that the activities of ULFA are, for the reasons mentioned above, detrimental to the sovereignty and integrity of India and it is an unlawful association.

5. The Central Government was of further opinion that if there is no immediate curb and control of unlawful activities of ULFA, it may take the opportunity to mobilize its cadres for escalating its secessionist , subversive and violent activities, openly propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity, indulge in increased killings of civilians and targeting of police and security forces personnel, procure and induct more illegal arms and ammunitions from across the border and extort and collect huge funds and illegal taxes from the public for its unlawful activities.

6. The notification dated 27th November, 1990 by which ULFA was declared unlawful association initially was extended from time to time. The notification by which this outfit was last declared on unlawful association was valid upto 26th November, 2012.

7. On the aforesaid grounds and afore-noted violent activities, the Central Government has opined that it is necessary to declare ULFA along with all its factions, wings and front organizations as an unlawful associations under the Act for a period of two years and there should not be any gap between the date on which the declaration of this outfit as an unlawful association expires and the fresh date for declaration of this outfit as an unlawful association, as any delay would give undue advantage to the outfit. It was therefore, deemed necessary to declare this outfit as an unlawful association with immediate effect from 27th November, 2012 under the proviso to Sub-Section (3) of Section 3 of the Act.

8. The Ministry of Home Affairs, Government of India by exercising its power conferred by Sub- Section (1) of Section 5 of the Act, vide its subsequent Notification No.S.O.2979 (E) dated 21st December, 2012 constituted this Tribunal for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring ULFA as an unlawful association.

9. After receiving the abovementioned reference, this Tribunal listed the reference for preliminary hearing on 11th January, 2013 at 4.00 p.m in Court No. 32, Delhi High Court, Sher Shah Road, New Delhi.

10. On 11th January, 2013, notice under Section 4(2) of the Act, was issued to the ULFA to show cause within 30 days from the date of service of the notice as to why the said Association should not be declared unlawful and why an order should not be made confirming the declaration made under Section 3(1) of the Act. It was also directed that notice shall be served in the same manner as the notification banning ULFA was served. It was further directed that notice shall be served on the aforesaid organization in the following manner:-

10.1. Copies of the notice be affixed at some conspicuous part of the offices, if any, of the above Association;

10.2. Notice be also served on ULFA by publication in daily newspapers, one in English and one in prominent local paper in vernacular language, which is under circulation in the locality where the organization has its establishments or presence as is known in the State of Assam and outside;.

10.3. By Proclaiming by beat of drums or by means of loudspeakers, the contents of the notice in the area in which the activities of the Association are ordinarily carried out;

10.4. Service be also effected on the Office Bearers of the Association at their addresses or if under detention through the concerned Superintendent (Jail) concerned and by publication of the notices in National daily newspapers one in English and one in prominent local paper in vernacular language, which is under circulation in the State of Assam;

10.5. By publishing on the website of Ministry of Home Affairs (http://mha.nic.in).

10.6. By making announcement on All India Radio and telecasting on Doordarshan from the Local Broadcasting and Transmission Stations of the State of Assam and;

10.7. Notice should also be served by pasting the same on the Notice Board of the Office of Each District Magistrate/ Tehsildar at the Headquarters of the District or Tehsil, as feasible.

11. Pursuant to the order dated 11th January, 2013, Mr.H.C. Suri, who was appointed as Registrar of the Tribunal, filed his report dated 21st February, 2013 to evidence that notice was served/ published in different modes on the Organization. The Central Government filed an affidavit dated 22nd February, 2013 of Shri G. Sridharan, Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India to the effect that the association (ULFA) has been served in the prescribed modes. State of Assam also filed an affidavit of Shri Gautam Talukdar, ACS, Deputy Secretary to the Government of Assam, Home & Political Department, Dispur, Guwahati to the effect that as directed by the Tribunal, service of notice has been effected on the association by different modes including publication.

12. Despite service, there was no appearance on behalf of the association ULFA before the Tribunal in proceedings dated 1st March, 2013. The Tribunal decided to proceed further and the dates for recording the evidence of witnesses and cross-examination, if any, were fixed for 19th and 20th April, 2013 in Shillong, Meghalaya. The State Government was directed to give due publicity in the local newspapers and through media regarding the dates of sitting and the venue of the Tribunal much in advance.

13. During the proceedings of the Tribunal dated 22nd March, 2013, the State of Assam filed affidavit of evidence comprising 27 affidavits with supporting documents of different officers of Police Department of Government of Assam in support of the case for declaring the ULFA as an unlawful association. The Central Government also filed substantial affidavit of Shri G. Sridharan, Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India before the Tribunal to substantiate its case.

14. During the proceedings of the Tribunal on 19th April, 2013, the State of Assam produced and examined 15 witnesses viz. SW-1, Dr. Sanjukta Parasor, IPS, Superintendent of Police, Jorhat District, Assam, SW-2, Shri Rana Bhuyan, IPS, Superintendent of Police, Dibrugarh District, Assam. SW-3, Shri Rafiul Alam Laskar, IPS, Superintendent of Police, Golaghat District, Assam, SW-4, Shri Prithpal Singh, IPS, Superintendent of Police, Tinsukia District, Assam, SW-5, Shri Sanjit Krishna, IPS, Superintendent of Police Chirang District, Assam, SW-6, Shri Shyamal Prasad Saikia, IPS, Superintendent of Police, Goalpara District, Assam, SW-7, Shri Prasanta Kumar Bhuyan, IPS, Superintendent of Police, Lakhimpur District, Assam, SW-8, Shri G.V. Siva Prasad, IPS, Superintendent of Police, Barpeta District, Assam, SW-9, Shri Mridulanda Sarma, IPS, Superintendent of Police, Dhubri District, Assam, SW-10, Shri Abhijit Bora, IPS, Superintendent of Police, Bongaigaon District, Assam, SW-11, Sh. Bijoy Giri Kuligam, APS, Superintendent of Police, Sivasagar District, Assam, SW-12,

Shri Anand Prakash Tiwari, IPS, Sr. Superintendent of Police, Guwahati City, Kamrup (Metro) District, Assam, SW-13, Shri Bhakta Bahadur Chetri, APS, Superintendent of Police, Karbi Anglong District, Assam, SW-14, Shri Vivek Raj Singh, IPS, Superintendent of Police, Nagaon District, Assam, SW-15, Shri Bir Bikram Gogoi, APS, Superintendent of Police, Baksa District, Assam who tendered their affidavits in evidence containing the details of unlawful activities of ULFA in their respective areas of jurisdiction.

15. Despite opportunity given, there was no appearance on behalf of the organization ULFA and no State witness was cross-examined. The proceedings of the Tribunal were adjourned for next day i.e. 20th April, 2013 for recording of the statement of remaining witnesses.

16. During the proceedings of the Tribunal on 20th April, 2013, the State of Assam submitted that the venue of the hearing of the Tribunal was originally scheduled at Hotel Pinewood, Shillong but due to logistical issues, the venue had to be changed to Hotel Polo Towers, Shillong. It was further submitted that a corrigendum has been published in various newspapers, namely, Khabor, Dainik Janam Bhumi, Dainik Jugasangha published on 19th April, 2013 to bring the change of venue to the notice of public at large as well as the banned organization. Four newspapers containing the citation published by the Government were handed over by the Government and were taken on record. The Government of Assam also handed over the certified copies of the FIR, seizure list, GD entry and the statement of witnesses/ accused in

respect of which permission was granted to SW-1 on 19th April, 2013 and the same were taken on record. The State Government produced and examined 8 witnesses on 20th April, 2013, SW-16 Shri P.R. Kar, APS, Superintendent of Police, Nalbari District, Assam. SW-17, Shri Ratna KT. Sarma, Sub-Inspector of Police, Police Station Tihu, Nalbari District, Assam, SW-18, Shri Khanindra Das, Sub-Inspector in Police Station Nalbari, Nalbari District, Assam, SW-19, Shri Jiban Das, Sub-Inspector in Police Station Simalguri, Sivasagar Dstrict, Assam, SW-20, Shri Netra Kama Saikia, Sub-Inspector in Police Station Mathurapur, Sivasagar District, Assam, SW-21, Shri Khargeswar Rabha, Sub-Inspector in Police Station Bongaigoan, Bongaigoan District, Assam, SW- 22, Shri Suren Bailung, Sub-Inspector in Police Station Barbaruah, Dibrugarh District, Assam, SW-23, Shri Jaharlal Baruah, Sub-Inspector in Police Station Chabua, Dibrugarh District, Assam who tendered their affidavits in evidence containing the details of unlawful activities of ULFA in their respective areas of jurisdiction.

17. Despite sufficient opportunity given, no one appeared on behalf of the ULFA during the proceedings of the Tribunal and thus none of the state witnesses were cross-examined.

18. On 16th May, 2013, the hearing of the Tribunal was held at the Conference Hall, Hotel Brahmaputra Ashoka, Guwahati, Assam, Original copies of the aforesaid newspapers and the copy of the Doordarshan's letter dated 10th May, 2013 and the letter dated 16th May, 2013 of the State of Assam were taken on record. The State Government of Assam produced and examined two witnesses SW-24, Shri Jitmol Doley,

Superintendent of Police, Darrang District, Assam and SW-25, Shri Rudreshwar Deka, Sub-Inspector in Police Station, Gauripur, Dhubri District, Assam, who tendered their affidavits in evidence containing the details of unlawful activities of ULFA in their respective areas of jurisdiction. The further examination of SW-25, Mr. Rudreshwar Deka was deferred to produce the complete record. Despite sufficient opportunity given, no one appeared on behalf of the ULFA during the proceedings of the Tribunal and none of the state witnesses were cross-examined. The proceedings of the Tribunal were adjourned for 18th May, 2013 for recording the evidence of remaining witnesses.

19. On 18th May, 2013, the Government of State of Assam produced and examined three witnesses SW-25, Shri Rudreshwar Deka (for further examination), SW-26, Ms. Banya Gogoi, Superintendent of Police, Special Operation Unit, Special Branch, HQR, Kahilipara, Guwahati and SW-27, Shri Mahdananda Hazarika, Joint Secretary, Home and Political Department, Assam Sachivalaya, Dispur, Guwahati. The Central Government produced and examined CW-1, Shri G. Sridharan, Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India. The sealed covers containing sensitive information marked as Mark 'A' to 'E' were also taken on record. The matter was accordingly listed for hearing on 20th May, 2013 at 4.00 pm at Court No. 19, Delhi High Court, New Delhi. There was again no appearance on behalf of the ULFA either in person or through counsel.

20. The matter was heard at length on 21st, 22nd and 23rd May 2013. Arguments were addressed by the Learned Additional Solicitor General, Mr.Rajeeve Mehra on behalf of Union of India and Mr.Avijit Roy for the State of Assam and they relied on the depositions of witnesses i.e. CW-01 and SW-01 to SW-27 which are discussed briefly in the forthcoming paragraphs.

20.1. CW-01 Sh. G. Sridharan, Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India, North Block, tendered in evidence his affidavit Ex CW - 01/1 dated 20th March, 2013, along with a copy of the Notification S.O. 2799 (E) dated 27th November, 2012 - Ex-CW- 01/A, a copy of the notification dated 17Th June, 2009 upholding ULFA as an unlawful association - Ex - CW 01/B, a copy of the notification dated 5th July 2011 containing the report of the Hon'ble Tribunal dated 25th May 2011 - Ex - CW 01/C, details of major incidents committed by ULFA from 23rd January 2011 to 31st July 2012- Ex CW-01/D and a brief resume of the aims / objectives and violent activities of ULFA - Ex.CW-1/E. Further CW-01 also handed over a sealed cover containing intelligence inputs and information received from security agencies and sources and State Governments regarding unlawful activities of ULFA in a sealed cover have been taken on record as Mark 'E'. The deponent has stated that in view of the information and material received from the State Government of Assam as well as the intelligence agencies with regard to the activities of the United Liberation Front of Asom and after taking into consideration the facts and circumstances, background of the

case, prevailing conditions in the concerned State of Assam, Central Government had decided to ban the ULFA by declaring it as an unlawful association under Sub-Section 1 of Section 3 of the Unlawful Activities(Prevention) Act, 1967 and accordingly, issued the Notification No. 2799(E) dated 27th November 2012. The deponent stated that the Central Government had received inputs and information from the Intelligence Agencies and State Government of Assam. CW-01 produced the comments and views of the State Govt., Ministry of Defence, Intelligence Bureau, Cabinet Secretariat (RAW), CRPF and BSF for consideration by this Tribunal in a sealed cover (Mark E). However since the information contained therein is highly sensitive, CW-01 claimed privilege with respect to the contents of these documents from disclosure to the public in larger public interest. The deponent stated that ULFA was formed on 7th April, 1979 with the avowed objective of "liberation of Assam" from the Indian Union through an armed struggle and that ULFA was initially declared as an 'unlawful association' under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 with effect from the 27th November, 1990. The last notification by which this outfit has been declared 'unlawful association' under the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967 was valid upto the 26th November 2012. The deponent stated that ULFA was also declared as a 'terrorist organization' under Section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. The deponent stated that ULFA has split into two groups; one group aligned with Arabinda Rajkhowa hereinafter referred to as Pro talk (*PT*) and

the other, following the hard line stand taken by Paresh Baruah, self styled Commander-in-Chief of *ULFA* Anti- Talk (*AT*). ULFA (*AT*) continues to be involved in extortion activities in both Upper and Lower Assam. Leaders of ULFA(AT) like Babul Gogoi, Muhim Gogoi, Rongmon Gogoi etc and Drishti Rajkhowa are stationed along the Assam-Arunachal border and in Meghalaya / Bangladesh border respectively and have been issuing extortion notices / threats to the targets for compliance of their demands. He stated that the newly trained cadres of the ULFA (*AT*) faction are being infiltrated into Upper Assam from Myanmar and attempts have been made by the higher formation of ULFA (*AT*) to transship weapons to the various detachments located along the Assam-Arunachal, Assam-Nagaland, West Garo Hills of Meghalaya and Jorhat district of Assam for carrying out subversive activities. ULFA (*AT*) has cadre strength of around 250 with around 200 weapons. The Deponent stated that the 28 Bn. Camp of ULFA at Bogabasti, Arakan camp, Naga Council camp and the General Mobile Headquarters / Mobile Military Headquarters (GMHQ / MMHQ) at Taga, in Myanmar, were being used for shelter, training of recruits and storage of weapons / explosives by the ULFA (*AT*) and sending its cadres from these camps for carrying out terrorist attacks through routes of MON District of Nagaland and Changlang District of Arunachal Pradesh for entering Assam. CW 01 further deposed that Leaders of ULFA (*AT*) like Paresh Baruah, self styled C-in-C, Jibon Moran, self styled Lt. Col., Michael Deka Phukan and Bijoy Das @ Chinese, self styled Majors were reported to be hiding in Myanmar and

146 6413-7

passing instructions to its cadres in Assam for extortion, deployment as well as plans for violence. He stated that he learnt ULFA to be recruiting new cadres from Nagaon and Baksa Districts of Assam who would be sent to Myanmar for training and also Drishti Rajkhowa, self styled Major and Vice CS of ULFA (*AT*) reported to be organizing training camps for new recruits somewhere in the Garo Hills, Meghalaya. The deponent has stated that ULFA (*AT*) faction led by Paresh Baruah rejected the peace declaration of ULFA (*PT*) and stuck to its stand of pursuing an armed struggle for the "liberation of Assam" and it continues to consolidate organizationally and is strengthening its military capability through recruitment and training of new cadres. The deponent stated that during 2011, the outfit had killed *one* Security Force personnel in 22 incidents of violence. During 2012 (up-to 31st December), ULFA cadres have killed Ten persons including three Security Forces personnel in 52 incidents of violence. The deponent stated that there were reports indicating that many ULFA (Pro-talk *PT*) cadres had been maintaining links with the ULFA (Anti -talk *AT*) faction. They are involved in illegal mining/selling of coal from areas in Changlang District of Arunachal Pradesh, Margherita area of Tinsukia District and smuggling of timber from Lohit District of Arunachal Pradesh through riverine routes and since the ULFA activists continued its activities for which it was banned earlier in 2000, 2002, 2004 and November 2006, Government imposed a fresh ban in November 2008 vide Notification No. 2746 (E) dated 27th November 2008 published in the Gazette of India. The

deponent stated that the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal consisting of Hon'ble Justice Reva Khetrapal of Delhi High Court upheld the ban and order of Tribunal was published in the Gazette of India vide Notification No.S.O. 1506 (E) dated 17th June 2009. The deponent stated that the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal consisting of Hon'ble Justice Ms. Mukta Gupta of Delhi High Court upheld the ban and order of Tribunal was published in the Gazette of India Notification No. 1535(E) dated 5th July 2011. The deponent stated that despite imposition of ban as afore-stated, ULFA has been carrying out its unlawful activities, including undertaking clandestine trainings, raising funds through extortion and intimidation. ULFA members continued to indulge in anti-national and unlawful activities and therefore, it is necessary that the ban on ULFA should be continued. The deponent stated that ULFA has;

(i) Indulged in various illegal and violent activities intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of liberating Assam;

(ii) Aligned itself with other unlawful associations of North Eastern Region to secede Assam from India;

(iii) In pursuance of its aims and objectives, engaged in several unlawful and violent activities during the currency of its declaration as an unlawful association;

20.2. The deponent stated that the violent activities of the ULFA include-

(i) Seventy four incidents of violence during the period from 1st January, 2011 to 31st December, 2012;

(ii) Killing of fourteen persons including four Security Forces personnel during the period from 1st January, 2011 to 31st December, 2012;

(iii) Indulging in a spate of extortion and secessionist activities, and endangering lives of innocent citizens, in addition to acts of kidnapping for ransom;

(iv) Instructing its cadres to carry out acts by targeting the establishments of security forces and their personnel, political leaders, railways and oil installations;

(v) Establishing sanctuaries and training camps in neighbouring countries; and

(vi) Embarking upon restructuring of its organizational network at the grass root level by launching a quite but systematic drive for recruitment of fresh cadres while continuing its violent and insurgent activities.

20.3. The deponent stated that if there is no immediate curb and control of unlawful activities of ULFA, it may take the opportunity to-

(i) Mobilize its cadres for escalating its secessionist, subversive and violent activities;

(ii) Openly propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;

(iii) Indulge in increased killings of civilians and targeting of police and security forces personnel;

(iv) Procure and induct more illegal arms and ammunitions from across the border;

(v) Extort and collect huge funds and illegal taxes from the public for its unlawful activities.

20.4. The deponent stated that the activities of ULFA are detrimental to the peace and internal security and continued declaration of this outfit as 'unlawful' was necessary to prevent the outfit from large-scale illegal and violent terrorist activities as any delay would provide the outfit an opportunity to take undue advantage of the situation and mobilize its cadres for escalating secessionist, subversive, terrorist and violent activities and it might also provide an opportunity to the leadership of this organization to openly propagate anti-national activities in collusion with foreign powers inimical to India's security concerns, the Police/ Security Forces in such an eventuality will find it difficult to detain and prosecute those militant apprehended by them. The deponent stated that it was considered necessary by the Central Government to impose a fresh ban with immediate effect and therefore, the decision of the Central Government of declaring the United Liberation Front of Asom (ULFA) as an unlawful association under the provisions of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 is just, proper and bonafide.

21. The State Government of Assam placed the following evidence of District Police Officials, Investigation Officers and a State Government Officials who deposed before this Hon'ble Tribunal with relevant documents which was duly exhibited through different Exhibits.: the unlawful and violent incidents

of ULFA resulting in the killing and injury of the innocent civilians and the security personnel as reproduced in Exhibits CW-01/D and SW-26:

(i) SW27- Mr. Mahadananda Hazarika, Joint Secretary to the Government of Assam, Home & Political Dept., Assam Sachivalaya, Dispur, Guwahati , filed evidences on affidavit (Ex.SW-27/1) with documents marked as Exhibits as Ex.SW-27/2 to Ex.SW-27/6. Ex.SW-27/2 is the notification dated 27th November, 2012 issued by the Ministry of Home Affairs under Section 3(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Ex.SW-27/5 is the constitution of the banned organization in which at page 38, the organization has stated their aim to establish a separate country in the soil of Assam. Ex.SW-27/6 contains the chart and gist of the incidents committed by the banned organization during the period 27th November, 2010 to 26th November, 2012 of the country to continue the ban on the said organization. The witness also submitted before this Hon'ble Tribunal that the declaration of ULFA as an unlawful organization vide Notification no. S.O. 2799 (E) dated November 27, 2012 published in the Official Gazette of India was justified and the above declaration was necessary to curb and control the unlawful activities of ULFA which is detrimental to the sovereignty and integrity of India (para 23 page 10 of Vol.I)

ii) SW26- Ms. Banya Gogoi, Superintendent of Police, Special Operation Unit, Special Branch, Assam Police,

Guwahati, Assam deposed and exhibited documents. Her affidavit was exhibited as. Ex.SW-26/1 whereas 11 documents along with true translated copies were exhibited as Ex.SW-26/2 to Ex.SW-26/12. She brought the original record in sealed cover containing the sensitive information received from various sources and tendered the copies of the same in four sealed covers. Since the information contained therein is highly sensitive, privilege is claimed with respect to the contents of these documents from disclosure to the public in larger public interest. Four sealed covers containing the copies of the sensitive information, original whereof were with the witness, were taken on record and marked as Mark 'A' to 'D'. The witness submitted that the banned organization was continuing with the unlawful activities. The last such incident took place on 19th April, 2013 in which the banned organization killed one Inspector of Assam Police in Tinsukia District. The gist of the incidents committed by the banned organization during the period 27th November, 2010 to 26th November, 2012 is contained in a chart at pages 188 and 189 of Ex.SW-26/12. The district-wise gists of the incidents committed by the banned organization are at pages 190 to 203 of Ex.SW-26/12. The ban on the organization should continue in the interest of the sovereignty and integrity of the country.

iii) SW1 - Dr. Sanjukta Parasor, Superintendent of Police, Jorhat District proved three incidents in the district along with records of one recent incident. The witness also deposed that members of ULFA were active and they have been indulging in large scale unlawful activities.

Five persons were arrested in case No.588/12 under P.S Jorhat along with recovery of arms and ammunitions including explosives. The investigation in the case revealed that the arms/ammunitions & explosives were transported through ULFA members.

Five persons were injured in case No.09/12 under P.S Dakhin Majuli. Arms & ammunitions were also recovered from the place of occurrence. Out of the injured, three were later declared dead, one of whom was identified as an ULFA member.

In case No. 05/12 of Dakhin Majuli P.S, one ULFA associate was apprehended.

The witness also deposed that on 26th February, 2013, there was a grenade blast at Kenduguri which resulted injury to two police personnel. One live grenade was also seized. An FIR was registered in Jorhat police station. Upon investigation it was found that ULFA was responsible for the grenade blast. This incident has not been mentioned in affidavit dated 26th February, 2013 as the incident took place on a later date. SW1 submitted the copy of the FIR and other relevant documents on subsequent day of deposition.

SW1 had tendered evidence on affidavit with relevant documents marked as Ex.SW-1/1 to Ex.SW-1/10.

iv) SW2 - Sri Rana Bhuyan, Superintendent of Police, Dibrugarh District proved two incidents from records of the district in which members of ULFA were involved. SW2 deposed that the members of ULFA were very active and were indulging in various unlawful activities like killing of innocent people, extortion and possession of illegal arms, explosives etc. They regularly layed ambush and attacked the security forces and civilians have caused immense casualty. Such activities of the outfit are not only undermining the authority of the Government and also spreading terror among the people of the district. They were also instigating different people to wage war against the Government and the Union of India.

Case No. 157/2011 under Barbaruah P.S, related to firing between police party and four miscreants and investigation revealed that members of ULFA were involved in the same.

In case No. 98/12 under P.S Chabua, two persons were apprehended and the preliminary interrogation of the apprehended persons revealed that both the persons were active members of ULFA.

SW2 tendered evidence on affidavit with relevant documents marked as Ex.SW-2/1 to Ex.SW-2/13.

v) SW3 - Shri Rafiul Alam Laskar, Superintendent of Police, Golaghat District deposed that the members of

ULFA are very active and they have been indulging in large scale unlawful activities as well as waging war against the State. The witness cited one incident from records of the district in which the banned organization ULFA was involved.

Three persons were arrested in connection with the case (Golaghat PS case No. 496/2012) one of whom confessed in his statement that he was a member of ULFA.

The witness also submitted in his deposition the recovery of a bottle grenade along with demolition report of the grenade and a demand letter on the letter head of ULFA.

SW3 tendered evidence on affidavit with relevant documents marked as Ex.SW-3/1 to Ex.SW-3/20.

vi) SW4 - Prithipal Singh, Superintendent of Police, Tinsukia District, Assam, deposed that in his district, the members of ULFA were very active and they indulged in large scale unlawful activities like bomb blast, killing of innocent people, possession of illegal arms, ammunition, explosive etc, and also recruitment of new cadre to wage war against the Union of India to secede Assam from the Territory of India. The members of the said organization also launched subversive activities in and around Tinsukia district to create fear psychosis among the peace loving people. The witness cited some of the instances as per record of the district in which members of ULFA were involved in Unlawful activities.

In Tinsukia P.S. case No. 03/12, suspected ULFA extremist had caused explosion by throwing grenade as a

result of which four pedestrians were injured. Four persons were arrested in connection with the case. The arrested accused persons had admitted that they were the associates of ULFA and actively involved in ULFA activities.

In Pengree P.S. case No. 84/2012, on receipt of a secret information about taking shelter of 3/4 ULFA cadre, the Police launched a joint operation. During the brief exchange of firing, one extremist sustained bullet injuries and others managed to escape taking advantage of dense forest. After the firing stopped, the Police team immediately evacuated the injured ULFA cadre in Public Health Center for treatment but he was declared dead. Arms and ammunitions were recovered.

In Bordumsa P.S. case No. 53/2012, an encounter took place between Police and a group of extremist as a result of which one Assam Police Constable and one extremist sustained bullet. The security forces immediately evacuated the injured to Civil Hospital for treatment where the attending doctor declared the extremist as dead.

The witness also deposed that while giving evidence, an incident had occurred in the district where the members of ULFA fired at the police party, which resulted in the death of one Police Inspector. The encounter was still continuing and being reported on the local TV channels.

SW4 tendered evidence on affidavit with relevant documents exhibited as Ex.SW-4/1 to Ex.SW-4/3-32

vii) SW5 - Shri Kumar Sanjit Krishna, SP, Chirang District, Assam deposed that in Chirang District, ULFA is active in their unlawful activities. The witness cited one incident from records of the district in which the banned organization ULFA was involved. One ULFA activist was arrested in connected with the case (case No. 34/12 under PS- Dhaligaon). As per his statement, he was a trained ULFA cadre and involved with unlawful activities.

SW3 had tendered evidences on affidavit with relevant documents marked as Ex.SW-5/1 to Ex.SW-5/9.

viii) SW6 - Shri Shyamal Prasad Saikia, Superintendent of Police, Goalpara District, Assam deposed that in his District, members of ULFA were very active and indulged in large scale unlawful and violent activities and also waging war against the State. The witness cited two incidents in the district in which members of ULFA are involved.

In case No. 44/12 under Dhupdhara P.S, two persons were arrested along with recovery of explosives. The said persons were active helping hand of ULFA.

In connection with case No. 25/12, one person had been apprehended and he revealed that he was an active member of ULFA. Arms and ammunitions were also recovered from his possession.

SW6 had tendered evidence on affidavit with relevant documents marked as Ex.SW-6/1 to Ex SW-6/9.

ix) SW7 - Shri Prasanta Kumar, Superintendent of Police, Lakhimpur District , Assam deposed that in his District,

ULFA was active in their unlawful activities. The witness cited two incidents from record of the district in which the banned organization ULFA was involved.

In Bihpuria PS case No 168/2012, on basis of secret information, a search operation was carried out and explosives were recovered. Out of arrested persons, one accused revealed that grenades were kept in his house as instructed by a hardcore ULFA leader.

In Narayanpur PS case No. 77/2012, two linkman/associates of ULFA were arrested in connection with the case. A grenade was collected by one of the accused from a hardcore ULFA leader to blast at the residence of one Shri Harish Chandak, Chairman Town Committee, Narayanpur.

SW7 tendered evidence on affidavit with relevant documents. The affidavit was exhibited as Ex.SW-7/1 whereas 21 documents along with the true translated copies are exhibited as Ex.SW-7/2 to Ex.SW-7/22.

x) SW8 – Dr. GV Siva Prasad, Superintendent of Police, Barpeta District, Assam deposed that in his district, though the ULFA Organization was not so active, yet their activities can't be underestimated as they had indulging in large scale illegal activities as well as waging war against the state and spreading terror among the people. They also indulged in extortions and collecting funds from businessman as well as government employees by serving demand letters and thereby disturbed the people from living peacefully. The witness

cited one incident from records of the district in which the banned organization ULFA was involved.

In case no. 61/2012 under P.S Sarthebari, two ULFA linkmen had been arrested in case of extortion of money from a trader.

SW8 had tendered evidence on affidavit with relevant documents marked as Ex.SW-8/1 to Ex.SW-8/6.

xi) SW9 - Shri Mridulananda Sarma, Superintendent of Police, Dhubri District, Assam deposed that the members of ULFA were active and they indulged in large scale unlawful activities as well as waging war against the State. The witness cited one instance as per records of district in which members of ULFA were involved.

In case No. 147/11 under Gauripur PS, one person was apprehended based on secret information. After thorough interrogation, a search operation was carried out in his house. During search one 7.62 mm Pistol with four rounds of live ammunitions with explosives were recovered. Also, during search of the house of accused, three letters written by his elder sister in-law who happens to be the wife of a hardcore ULFA, reportedly now in Bangladesh Jail were also recovered and-seized in presence of the witnesses. As stated by the accused, he collected the arms, ammunitions and explosive from ULFA activists.

SW9 tendered evidence on affidavit along with relevant documents exhibited as Ex.SW-9/1 to Ex.SW-9/4.

xii) SW10 - Shri Abhijit Bora, Superintendent of Police, Bongaigaon District, Assam deposed that the members of ULFA are very active and they have been indulging in large scale unlawful activities as well as waging war against the State. The witness cited one instance as per records of district in which members of ULFA were involved.

In Bongaigaon Police Station case No. 314/2012, one person was apprehended along with a live grenade. During interrogation, the person revealed that he was a ULFA cadre and confessed that he hurled the grenade at the security force personnel at the direction of ULFA. One of the injured people in the blast later succumbed to his injuries in the hospital.

SW10 tendered evidence on affidavit along with relevant documents exhibited as Ex.SW-10/1 to Ex.SW-10/7.

xiii) SW11 - Shri Bijoy Giri Kuligam, Superintendent of Police, Sivasagar District, Assam deposed that the members of ULFA were very active and they have been indulging in large scale unlawful activities as well as waging war against the State. The witness cited three instances as per records of district in which members of ULFA are involved.

In Simaluguri PS case No. 83/11, during checking, one suspected person was apprehended who confessed to be an active ULFA cadre and was identified as self styled Sergeant of ULFA. On basis of his information, the Police team apprehended another person along with two

Remote Control Explosive Devices (RCED) and two nos. detonators.

In Mathurapur PS case No. 29/12, a group of ULFA cadres lobbed a grenade in the campus of Mathurapur Police Station. The grenade did not explode due to improper priming. This grenade was thrown in the Police Station campus by the ULFA to show their strength in the run up of their Raising Day (7th April, 2012). Subsequently, an ULFA cadre was apprehended following an encounter. He stated during interrogation that the grenade at Mathurapur PS campus was lobbed by him on the instructions of ULFA.

In Mathurapur PS case No. 44/12, a group of ULFA extremist open fired on security forces in an operation. The security forces charged and the firing continued for approximately 20 minutes during which a few extremists received several bullet injuries. Arms and ammunitions, explosives were also recovered from the place of occurrence. An ULFA extremist was subsequently apprehended after prolonged search with multiple bullet injuries who later survived. He disclosed that in the instant case, the ULFA group consisted of three cadres apart from himself.

SW11 had tendered evidence on affidavit along with relevant documents exhibited as Ex.SW-11/1 to Ex.SW-11/15.

xiv) SW12 - Shri A.P Tiwari, Sr. Superintendent of Police, Guwahati City deposed that the members of ULFA were

active and they have been indulging in large scale unlawful activities as well as waging war against the State. The witness cited one of the instance as per records of district in which members of ULFA are involved.

One IED exploded in the premises of Rajib Bhawan -the State Head Quarter of ruling Assam Pradesh Congress Committee, G.S. Road ABC under Bhangagarh P.S (case No. 66/11), Guwahati City. Due to the above explosion four members of Assam Pradesh Congress Committee, sustained grievous injuries. Seven persons were arrested in connection with the blast. During interrogation, they admitted that they were contemplated by ULFA to explode such bomb in Guwahati City.

SW12 tendered evidences on affidavit along with relevant documents exhibited as Ex.SW-12/1 to Ex.SW-12/4.

The witness deposed that two days ago, ULFA had sent an email to the electronic and print media in which they warned the singers participating in Bihu festival not to sing Hindi songs. On being reported, a case has been registered against ULFA. He had provided security to the singer, Jubeen Garg who participated in the Bihu festival. This matter had been reported in the headlines of all newspapers. He submitted the newspapers 'The Telegraph'- English edition and 'Pratha Khabar'- Hindi edition in which this news was in the headlines. The newspapers as Ex.SW-12/5 and Ex.SW-12/6 respectively.

xv) SW13 - Shri Bhakta Bahadur Chetri, Superintendent of Police, Karbi Anglong deposed that the members of ULFA were very active and they had been indulging in unlawful activities as well as waging war against the State. The witness cited one instance as per records of district in which members of ULFA were involved.

On the basis of specific information, a search was carried out in the house of a person. During the search, around 48 SIM cards were recovered and seized as per seizure list. During interrogation of the said person, it was transpired that the "SIM" cards were bought to be handed over to one of the leaders of banned ULFA organisation and these "SIM" cards would be used for communication to carry out extremist activities. Subsequently, three persons were arrested and from the investigation, it was found that they were part of ULFA and were conspiring to wage war against the country. This refers to Dokmoka PS Case No. 16/2011.

SW13 tendered evidence on affidavit along with relevant documents exhibited as Ex.SW-13/1 to Ex.SW-13/6

xvi) SW14 - Shri Vivek Raj Singh, IPS, Superintendent of Police, Nagaon District deposed that the members of ULFA were very active and they had been indulging in large scale unlawful activities as well as waging war against the State. The witness cited two instances as per records of district in which members of ULFA were involved.

On basis of secret information, a search operation was carried out where two persons were apprehended and one accused revealed that he was a member of ULFA. (Kampur PS Case No. 143/12)

In Nagaon PS Case No.334/11, in matter of extorting money from a businessman, one of the accused revealed that he is a member of ULFA.

SW14 had tendered evidence on affidavit along with relevant documents exhibited as Ex.SW-14/1 to Ex.SW-14/10.

xvii) SW15 - Bir Bikram Gogoi, Superintendent of Police, Baksa District deposed that in the District of Baksa, members of ULFA were very active and they were indulging in large scale unlawful and violent activities undermining the authority of the Government and spreading terror among the people. They were also found involved in killing of innocent civilians, kidnapping of Govt. employees, extortion to common people, targeting the surrendered ULFA activists, Hindi speaking people and thereby causing immense impediment in leading a normal life. Due to such criminal activities, large number of cases have been registered against them under different police stations and quite a number of ULFA cadres have been arrested from time to time. The witness cited one instance as per records of district in which members of ULFA were involved

In Barbari PS case No. 19/11, on receipt of a specific information about taking shelter of a group of 4/5 ULFA

cadres, a joint operation team was launched. There was fire fighting between the operations team and militants, which continued for about 12 to 15 minutes. One unidentified dead body was recovered from the place of occurrence with multiple bullet injuries along with arms, ammunitions & explosives. Later on, the dead body was identified as hardcore ULFA extremist.

SW15 tendered evidence on affidavit along with relevant documents exhibited as Ex.SW-15/1 to Ex.SW-15/4.

xviii) SW16 - P.R Kar, Superintendent of Police, Nalbari District, Assam deposed that the members of ULFA are active and they have been indulging in large scale unlawful activities as well as waging war against the State. The witness cited two instances as per records of district in which members of ULFA are involved.

In Tihu Police Station vide Case No. 79/2011, a blast had occurred in Tihu PS campus. A person was apprehended in connection with the case and he confessed that he was engaged by ULFA to blast the grenade at Tihu P.S. campus.

In Nalbari Police Station Case No. 291/2011, two persons were apprehended with arms, ammunitions and explosives in a search operation. Both accused confessed to be members of ULFA.

SW16 had tendered evidence on affidavit along with relevant documents exhibited as Ex.SW-16/1 to Ex.SW-16/18.

xix) SW-17 - Ratna Kt. Sarma, Sub-Inspector in P.S Tihu, Nalbari District deposed that on 2nd September, 2011 at about 6.55 pm, there was a bomb blast in Tihu Police Station complex in respect of which FIR No.79/2011 was registered in Police Station Tihu.

The witness is the Investigating Officer of the said incident. The investigation is still pending. The evidence is tendered by way of affidavit which contains the details of the investigation. The affidavit is Ex.SW-17/1. The relevant documents relating to the FIR have been proved by SW-16 as Ex.SW-16/2 to Ex.SW-16/18.

xx) SW-18 - Khanindra Das, Sub-Inspector of Police in P.S Nalbari, Nalbari District, Assam deposed that on 18th May, 2011 at about 1.30 pm an FIR was lodged at Police Station Nalbari for incident that took place on 17th May 2011at 10.40 pm, ammunition was recovered from two ULFA cadre persons, in respect of which FIR No.291/2011 was registered. The witness is the Investigating Officer of the said incident. The investigation is still pending. The evidence is tendered by way of affidavit which contains the details of the investigation. The affidavit is Ex.SW-18/1. The relevant documents relating to the FIR have been proved by his superior officer, SW-16, are Ex.SW-16/2 to Ex.SW-16/18.

xxi) SW-19 - Jiban Das, Sub-Inspector in PS Simalguri, Sivasagar District, Assam deposed that on 25th September, 2011, at about 6.00 am ,two remote control explosive devices and two detonators were recovered

from the accused persons travelling in Maruti (ECCO) Car No.AS-04-H-0712 in respect of which FIR No.83/2011 was registered in Police Station Simalguri. Upon interrogation, the accused persons admitted acting on the behest of ULFA. The witness is the Investigating Officer of the said incident. The investigation is still pending. The evidence is tendered by way of affidavit which contains the details of the investigation. The affidavit is exhibited as Ex.SW-19/1. The relevant documents relating to the FIR have been proved by his superior officer, SW-11, as Ex.SW-11/2 to Ex.SW-11/15.

xxii) SW-20 - Netra Kamal Saikia, Sub Inspector in PS Mathurapur, Sivasagar District, Assam deposed that on 29th /30th March, 2012, a group of ULFA cadres threw a grenade in the campus of Police Station Mathurapur. However, the grenade did not explode due to improper priming and therefore, a major disaster was averted. A ULFA cadre namely Hiren Gogoi @ Robin Morai was apprehended on 31st May, 2012 following an encounter and he confessed having thrown the grenade at the instructions of ULFA.

On 30th May, 2012, an encounter took place between the police and the ULFA cadres resulting in recovery of huge ammunition. FIR Nos.29/12 and 44/12 were registered in Police Station Mathurapur in respect of the aforesaid offences.

The witness is the Investigating Officer in both the cases. The investigation is still pending. The evidence is

tendered by way of affidavit which contains the details of the investigation. The affidavit is exhibited as Ex.SW-20/1. The relevant documents relating to the FIR have been proved by his superior officer, SW-11, as Ex.SW-11/2 to Ex.SW-11/15.

xxiii) SW21 - Khargeswar Rabha, Sub Inspector in PS Bongaigoan in Bongaigoan District, Assam deposed that on 11th September, 2012 at about 8.20 pm, a bomb blast took place near Assam Oil Company Petrol Pump in respect of which FIR No.314/2012 was registered in Police Station Bongaigaon.

The witness is the Investigating Officer of the said case. The investigation is still pending. The evidence is tendered by way of affidavit which contains the details of the investigation. The affidavit is exhibited as Ex.SW-21/1. The relevant documents relating to the FIR have been proved by his superior officer, SW-10 as Ex.SW-10/2 to Ex.SW-10/7.

xxiv) SW22 - Suren Bailung, Sub-Inspector in P.S Barbaruah in Dibrugarh District, Assam deposed that on 27th November, 2011, on secret information, the police carried out a joint search operation in Medala Tea Estate area. Four persons were seen on two motorcycles moving in a suspicious manner and when one of them was stopped, he opened fire and managed to escape. One IED weighing about 15 kgs, one bottle grenade etc. were recovered from the site. FIR No.157/2011 was registered in Police Station Barbaruah.

The witness is the Investigating Officer of the said case. The investigation is still pending. The evidence is tendered by way of affidavit which contains the details of the investigation. The affidavit is exhibited as Ex.SW-22/1. The relevant documents relating to the FIR have been proved by his superior officer, SW-22, as Ex.SW-22/2 to Ex.SW-22/13.

xxv) SW23 - Jaharlal Baruah, Sub-Inspector in PS Chabua in Dibrugarh District, Assam deposed that on 27th June, 2012 at about 10.45 pm, upon receipt of secret information, a motorcycle was stopped and one live grenade was recovered from the pillion rider. FIR No.98/2012 was registered in Police Station Chabua.

The witness is the Investigating Officer of the said case. The investigation is still pending. The evidence is tendered by way of affidavit which contains the details of the investigation. The affidavit is exhibited as Ex.SW-23/1. The relevant documents relating to the FIR have been proved by his superior officer, SW-2, as Ex.SW-2/2 to Ex.SW-2/13.

xxvi) SW24 - Jitmol Doley, Superintendent of Police, Darrang District, Assam deposed that in his district members of ULFA are very active and they have been indulging in large scale unlawful activities. He cited three instances as per records of the district in which members of ULFA are involved.

In Mangaldai P.S. case No. 76/2012, a civilian was killed and two were injured in a firing. The investigation

revealed that the members of ULFA were involved and four were arrested in connection with the case. The investigation also revealed that the case was related to extortion.

In Sipajhar PS case No. 155/12, on information of CI CISU (Gajraj Camp), an operation was launched by Police. According to the information an ULFA cadre was carrying arms and ammunitions. During the search the ULFA cadre was apprehended along with one live Chinese Grenade.

In Mangaldai PS case No. 735/11, one extortion notice of Rs.Five Lakhs was served to a businessman. The intelligence input indicated that a cadre of ULFA operating from Darrang district had served an extortion demand of Rs. 5 Lakhs. SW24 had tendered evidences on affidavit with relevant documents exhibited as Ex.SW-24/1 to Ex.SW-24/18.

xxvii) SW25 - Rudreshwar Deka, Sub-Inspector in PS Gauripur in Dhubri District, Assam deposed on 3rd April, 2011 at about 7.30 pm, on secret information, one Naryan Ranjan Roy was apprehended. During interrogation, a 7.62 mm pistol with four rounds of live ammunitions with magazine wrapped in polythene kept under ground in the backside of his house was recovered. During further search, four slabs of RDX with switch board and wire wrapped with polythene were also recovered from the nearby field. The police also recovered three letters written by the elder sister-in-law

2946 GI/13-18

of the accused. FIR No.147/2011 under Sections 121/121(A)/122 IPC read with Section 25(1A) of Arms Act and Section 5 of Explosive Substance Act read with Section 10/13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act was registered.

The witness had not brought the complete record with respect to the present status of the said case. He produced a copy of the letter dated 17th May, 2013 issued by the Office of Superintendent of Police, Dhubri, on the next date of deposition on 18th May, 2013 and submitted that the both the accused were on bail since 2011. The case is pending for the arrest of main accused Dristi Rajkhowa, Deputy Commandant-in-Chief of ULFA who is reportedly taking shelter in Bangladesh. The said letter dated 17th May, 2013 is Ex.SW-25/2.

The witness is the Investigating Officer in the case. The evidence is tendered by way of affidavit which contains the details of the investigation. The affidavit is exhibited as Ex.SW-25/1. The relevant documents relating to the FIR have been proved by his superior officer, SW-9, as Ex.SW-9/2 to Ex.SW-9/4.

22. The learned counsel for the State of Assam referred to and relied upon the following cases: ***Jamaat-e-Islami Hind* v. *UOI*** [1995(1) SCC 428]; ***Union of India (UOI)* v. *Students Islamic Movement of India*** [99(2002) DLT 147]; ***Khatri* v. *State of Bihar*** [(1981) 2 SCC 493]; ***Suman* v. *State of Tamil Nadu*** [AIR 1986 Madras 318]; ***Nandini***

Satpathy* v. *P.L. Dani [AIR 1978 SC 1025]; ***Union of India* v. *Tulsiram Patel*** [AIR 1985 SC 1416]

23. The proceedings before this Tribunal are summary and adjudicatory in nature. The same does not involve strict application of Rules of Evidence. The relevant documents like FIR, seizure lists, statements of accused, complainant(s), witnesses recorded under Section 161 Cr.PC show *prima facie* involvement of ULFA and the same is liable to be declared as an Unlawful Association.

24. From the factual depositions of District Police Officials Superintendent of Police, SOU, Special Branch, Assam Police, Investigation Officers and a State Government Official, the involvement of ULFA in various crimes with an intention to secede from the Union of India has been established.

25. An analysis of the evidence on record, establishes that the ideology of United Liberation Front of ASOM (ULFA), which association came into existence on 7th April, 1979 at the historic Rongghar Maidan in Sivasagar District following the teachings of: Marxism and Mao-Leninism, was to establish an independent, socialist, sovereign and democratic country in Assam. The aims and objectives of ULFA as per its constitution are mentioned as under:

(i) to establish scientific and socialistic country in a befitting manner with the eco-social and geographical atmosphere of the region by postulating the rights of autonomy of different tribes of Assam.

(ii) to have full control over the revenues resources of Assam, such as, Oil and Natural Gas, forests etc.

(iii) to gain public support against Indian and non-Indian exploitation.

(iv) to stand up against any suppression and repression of the Assamese masses;

(v) to fight against forces of common and specific interest.

(vi) to open the field of discussion and understanding for political support with foreign countries in conformity with the aims and objectives of the ULFA for achieving their goals and design; and

(vii) to exchange thoughts and mutual help with the countries having identical thoughts, ideology and political notions.

26. A conjoint reading of the affidavits of the witnesses, who have deposed about the unlawful and illegal activities of ULFA, along with their statements made before the Tribunal, establishes beyond doubt that the illegal and violent activities of ULFA are intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of liberating Assam. For the aforesaid purpose, the ULFA, which, as stated above is a revolutionary political party, has allied itself with other unlawful and banned organization of the Northern - Eastern region and even during the subsistence of the ban has engaged in several unlawful and violent activities including extortions, killings and kidnappings for ransom with a view to secede Assam from India.

27. To achieve this end, the ULFA adopted its own flag and emblem and provide for its own infrastructure, including its

own central executive assembly and judicial Department. The constitution of ULFA even provided for appointment of a Foreign Secretary and the Chief of the Army. All the witnesses have unanimously deposed about the coercive methods used by the ULFA including bomb explosions, murders, extortions and the general atmosphere of terror created by this outfit and its various wings.

28. ULFA was declared an Unlawful Association initially on 26th November, 1990 and notwithstanding successive notifications declaring it to be an unlawful association; its offending activities are still being continued. To undermine the integrity and sovereignty of India by waging an armed struggle and establish an independent and a sovereign Assam is still being propagated through violent means. Notwithstanding the successive bans on the ULFA to suspend their illegal activities, its offending activities are still continuing. The extortion attempts and extortions actually carried out bring out how the money is being collected to carry forward their violent activities. Ex.SW-26/1 shows an attempt to seek patronage from external authorities across the border.

29. The activities of ULFA are well documented and they are reported to the special branch and the Police Headquarters of Assam. Almost all the witnesses have proved on record various FIRs, statement of witnesses, seizure list, copies of demand letters, extortion notes and statements of accused persons, including interrogation statements admitting to their criminal activities. On a perusal of Ex.SW26/1, it is clear that the unholy nexus of ULFA with ISI & China has added a new

dimension to the internal security scenario of the State. The ULFA is running training camps in Myanmar from where they have been operating and implementing guerrilla warfare by adopting hit and run tactics in the territory of Assam. It has also set up hideouts along the foothills of Indo-Bhutan border. Some ULFA cadres are camping in area located near Sino-Myanmar border under the direct command and control of Chief of Staff, Paresh Barua. The witnesses have further highlighted that the ULFA is maintaining operational understanding with other insurgent groups of North-Eastern region. This bears dangerous portends for the law and order scenario in the North – Eastern region, particularly in Assam. The Sealed covers marked as Mark A to E were also opened, perused and re-sealed during the hearing dated 22nd May 2013. Having examined the contents therein, the Tribunal is of the view that there is sufficient material to establish that it is an unlawful association.

30. ULFA leadership is still continuing their recruitment drive and recruited a good number of youths from different parts of the state. ULFA is maintaining operational understanding with other insurgent and banned organizations of N.E. Region and active in adjoining States. ULFA regularly calls to boycott Independence Day and Republic Day of India. More recently ULFA had threatened famous Assamese singer, Mr. Jubin Garg, for singing Hindi song during Bihu festival thereby seriously challenging the integrity and oneness of the country

31. During the banned period from 27th November, 2010 to 2[illegible]th November, 2012, ULFA militants were involved in 109

incidents of violence in which they killed 15 persons and injured 76 persons. A detailed chart delineating these incidents has been exhibited as Ext. SW 26/12 in the evidence on affidavit filed by Ms. Banya Gogoi, SP, SOU Assam (SW 26).

32. ULFA is professing the aim of liberating Assam from India, indulging in many violent activities with a view to disrupt the sovereignty and integrity of India and creating deep sense of insecurity among people, extorting money, committing murders, indulging in threats, intimidation, kidnapping , robbery, forcibly occupying lands and buildings and to ban the ULFA will enable security forces and law enforcement agencies of the country to deal effectively with the ULFA and protect the integrity and sovereignty of the India.

33. The above unlawful activities by the ULFA are detrimental to security and integrity of Union of India. The violent activities of ULFA to secede from India posed a dangerous threat to the very integrity and sovereignty of India as well as State of Assam. The sustained violence by ULFA for more than a decade has bore a toll on the development of the State of Assam.

34. This Tribunal has carefully considered all the facts and circumstances relating to issuance of notification dated 27th November, 2012 by the Central Government of India issuing a ban on the organization ULFA and on consideration of the evidence produced both by the Central Government and the State of Assam, coupled with the absence of any denial of the above facts by the ULFA or any contest by the organization, it

is clear that violent activities in the State of Assam creating an unrest in the State are prejudicial to the safety and security of the nation and thus constitute an unlawful activity under Section 2(o) of the Act.

35. A cumulative analysis of the entire evidence on record undoubtedly suggests that the activities of the ULFA are unlawful and that the conclusion of the Central Government that the association has engaged in subversive and violent activities, undermining the authority of the Central Government and spreading terror and violence among the people for achieving their objectives is fully justified. The opinion of the Central Government that the association is engaging in various illegal and violent activities intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of liberating Assam, aligning itself with other unlawful associations of North Eastern Region to secede Assam from India and in pursuance of its aim and objectives, engaged in several unlawful an violent activities during the currency of its declaration as an unlawful association which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India is also justified.

36. Both the Central Government as well as the State of Assam have led sufficient evidence in support of the conclusion that the association has indulged in a spree of killing civilians and personnel belonging to police and security forces, extortion of funds from the general public in State of Assam, establishing and maintaining camps in State for the purpose of safe sanctuary, training, procurement of arms and ammunition

in Assam. The entire evidence has gone un-rebutted despite of all requisite steps taken by the State of Assam and Central Government in terms of direction issued by the Tribunal from time to time.

37. There is also sufficient evidence that has been led by the Central Government and the State Government to the effect that the association has mobilized their cadres for escalating their secessionist, subversive and violent activities. They have propagated anti-national activities in association with forces inimical to India's sovereignty and integrity. The association has repeatedly indulged in killing of civilians, police and security forces personnel through illegal arms and ammunition. Under the circumstances, the Central Government has shown sufficient cause for confirmation of the declaration made under Section 3(1) of the Act as well as proviso to Section 3(3) of the Act.

38. Consequently, it is concluded that the issuance of the notification dated 27th November, 2012 is fully justified. There is sufficient cause for declaring the ULFA as an unlawful association with effect from 27th November, 2012 for a period of two years and hence, the said notification is hereby confirmed.

39. The reference is answered in the abovementioned terms.

Sd/.
Justice J.R. Midha
(Tribunal)

24th May, 2013

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.